



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 185-2017/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, OCTOBER 22, 2017 (ASVINA 29, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd October, 2017

No. 36-HLA of 2017/91/20825.— The Gurugram Metropolitan Development Authority Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 36- HLA of 2017

THE GURUGRAM METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2017

A

Bill

to develop a vision for the continued, sustained and balanced growth of the Gurugram Metropolitan Area through quality of life and reasonable standard of living provided to residents through generation of employment opportunities, to provide for integrated and coordinated planning, infrastructure development and provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development, to redefine the urban governance and delivery structure in coordination with local authorities in the context of the emergence of Gurugram as a rapidly expanding urban agglomeration, to establish a statutory Authority for the said purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision of this Act to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -
- (a) “Authority” means the Gurugram Metropolitan Development Authority established under sub-section (1) of section 4;
 - (b) “board” means a board established by or under any State law;
 - (c) “Chief Executive Officer” means Chief Executive Officer of the Authority appointed under sub-section (1) of section 9;
 - (d) “company” means a company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);
 - (e) “Corporate Social Responsibility Policy” means a policy as approved by the Board under the provisions of clause (a) of sub-section (4) of section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);
 - (f) “geospatial based system” means processes and technology used to acquire, manipulate, plan and store datasets and information that identifies geographic location, characteristics and other attributes of natural or constructed features in the notified Area and includes –
 - (i) boundaries of natural or constructed features and jurisdictions;
 - (ii) statistical data;
 - (iii) information derived from, among other things, mapping, remote sensing and surveying technologies;
 - (g) “Haryana Urban Development Authority” means the Haryana Urban Development Authority constituted under sub-section (1) of section 3 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (13 of 1977);
 - (h) “infrastructure development plan” means the infrastructure plan published under sub-section (5) of section 17;
 - (i) “infrastructure development work” means development of infrastructure such as roads, water supply systems and water treatment, sewerage systems, sewerage treatment and disposal, drainage, electricity transmission and distribution systems, solid waste management facility, metro railway systems, piped natural gas, communications or such other urban infrastructure which connects two or more sectors, municipal colonies or villages or which provides for the infrastructure needs of the notified area, but does not include any internal development work;
 - (j) “internal development work” means development of roads, provision of water supply, sewerage, drainage, electricity, sanitation or such other urban facilities or urban amenities within a sector, colony, municipal colony or abadi deh areas of villages located in the notified area;
 - (k) “limited liability partnership” means a limited liability partnership incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2009 (Central Act 6 of 2009);
 - (l) “local authority” means a Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee, Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be in the notified area;
 - (m) “mobility” means movement of person on foot or a wheeled conveyance of any description;
 - (n) “mobility management plan” means the mobility management plan for managing mobility in the notified area under section 21;
 - (o) “notification” means a notification published in the Official Gazette of the State of Haryana;
 - (p) “notified area” means the Gurugram Metropolitan Area notified under sub-section (1) of section 3;
 - (q) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

- (r) “regulations” means regulations of the Authority under this Act;
- (s) “resident” means a citizen of India who ordinarily resides in the notified area;
- (t) “Residents Advisory Council” means the Residents Advisory Council constituted under section 11;
- (u) “State Government” means the Government of the State of Haryana;
- (v) “transferable development right” means a certificate granting the right to the authorized holder of the certificate to construct up to a floor area mentioned in the certificate which the authorized holder may transfer, on such general terms and conditions and after such sanction in accordance with policy notified by the State Government, to another person or company or other agency upon which the right to construct shall transfer to such person or company or other agency;
- (w) “urban area” for the purposes of this Act includes rural areas in the periphery of the Municipal Corporation, Gurugram which, in the opinion of the State Government, have the potential of being urbanised;
- (x) “urban amenities” means urban facilities such as parks, playgrounds, green spaces, parking facilities, public wi-fi facilities, public bus transport, bus shelters, taxi and rickshaw stands, libraries, affordable hospitals, cultural centres, recreation centres, stadium, sports complex and any other urban facility that the State Government may, on the recommendation of the Authority, specify to be an urban amenity, but does not include infrastructure development work;
- (y) “urban environment” includes water, air, green spaces, open spaces and urban forestry in the notified area.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) or Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) or the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and not inconsistent with this Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. (1) The State Government may, by notification, declare any area falling within the limits of controlled areas in Gurugram district to be notified area having the potential for urban expansion and the area under any or all of the following local authorities, namely:-

Declaration of
Gurugram
Metropolitan
Area.

- (a) Municipal Corporation, Gurugram;
- (b) Municipal Council, Sohna;
- (c) Municipal Committee, Pataudi;
- (d) Municipal Committee, Farukhnagar;
- (e) Municipal Committee, Hailey Mandi; and
- (f) any Panchayat in Gurugram district in so far as the abadi deh of such Panchayat is concerned.

(2) The State Government shall cause the contents of the declaration made under sub-section (1) to be published in at least two daily newspapers printed in English and Hindi languages.

(3) The declaration made under sub-section (1) shall be published on the website of the Authority.

4. (1) The State Government shall, by notification and with effect from such date, as may be specified in the notification, establish, for the purposes of this Act, an Authority to be called the Gurugram Metropolitan Development Authority.

Establishment of
Authority.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

Constitution of Authority.

- 5.** The Authority shall consist of the following members, namely:-
- (a) Chief Minister of Haryana, Chairperson;
 - (b) Minister Incharge Town and Country Planning, ex-officio member;
 - (c) Minister Incharge Urban Local Bodies, ex-officio member;
 - (d) Minister Incharge Transport, ex-officio member;
 - (e) Members of Parliament representing the parliamentary constituency falling within the notified area, ex-officio members;
 - (f) Members of the State Legislature representing assembly constituencies falling within the notified area, ex-officio members;
 - (g) Mayor of the Municipal Corporation, Gurugram, ex-officio member;
 - (h) Senior Deputy Mayor of the Municipal Corporation, Gurugram, ex-officio member;
 - (i) Chairman, Zila Parishad, Gurugram, ex-officio member;
 - (j) Additional Chief Secretary or Principal Secretary, as the case may be, Town and Country Planning Department, ex-officio member;
 - (k) Additional Chief Secretary or Principal Secretary, as the case may be, Urban Local Bodies Department, ex-officio member;
 - (l) such officers of the State Government, not below the rank of Principal Secretary, not exceeding six, as the State Government may, from time to time, nominate, ex-officio members;
 - (m) such experts, not exceeding six, as the State Government may, from time to time, nominate from the field of urban infrastructure, governance, public administration, finance, management, urban forestry, environment, engineering, town planning etc., members;
 - (n) Divisional Commissioner, Gurugram, ex-officio member;
 - (o) Commissioner of the Municipal Corporation, Gurugram, ex-officio member;
 - (p) Commissioner of Police, Gurugram, ex-officio member;
 - (q) Deputy Commissioner, Gurugram, ex-officio member;
 - (r) Chief Executive Officer, member-secretary.

Allowances, cessation and resignation of members.

- 6.** (1) The members, other than ex-officio members, shall receive such allowances for attending the meetings of the Authority, as may be prescribed.
- (2) Where a person becomes or is nominated as a member of the Authority by virtue of holding an office or a position, he shall cease to be a member of the Authority as soon as he ceases to hold such office or position, as the case may be.
- (3) A member, other than an ex-officio member may, at any time, by writing under his hand, addressed to the Chairperson, resign from his office.

Meetings of Authority.

- 7.** (1) The Authority shall meet at such time, at such place and subject to provisions of sub-sections (2) and (3), observe such rules of procedure for conduct of meetings and transaction of business, as may be prescribed.
- (2) At every meeting of the Authority, the Chairperson, if present or in his absence, any one of the members, as the Chairperson may nominate, shall preside.
- (3) All questions at a meeting shall be decided by a majority of votes of the members present and in case of equality of votes, the Chairperson or the member presiding, as the case may be, shall have a second or casting vote.
- (4) The Chief Executive Officer shall maintain records of the meetings of the Authority in such manner, as may be prescribed.

8. (1) The Authority may delegate any of its powers, other than the powers in sub-section (2), to an executive committee constituted from amongst its members, as the Chairperson may decide and all decisions of the executive committee shall have the same effect as if taken by the Authority under this Act:

Delegation of powers of Authority to executive committee.

Provided that the executive committee shall include not less than three members of the Authority nominated under clause (m) of section 5;

(2) The Authority shall not delegate to the executive committee the following powers, namely:-

- (a) to approve the infrastructure development plan under sub-section (5) of section 17;
- (b) to approve the mobility management plan under sub-section (4) of section 21;
- (c) to approve the plan for sustainable management of the urban environment under section 23;
- (d) to approve the budget of the Authority under section 38;
- (e) to make, amend or repeal any regulation under section 57.

9. (1) The State Government shall, by notification, appoint an officer of the State Government, not below the rank of Principal Secretary, as Chief Executive Officer.

Appointment, terms and conditions etc. of Chief Executive Officer.

(2) The Chief Executive Officer shall be paid out of the Fund of the Authority, such monthly salary and such monthly allowances with such other facilities, as may from time to time be fixed by the State Government.

(3) Whenever the Chief Executive Officer is on leave or is unable to discharge his duties, the State Government may appoint another officer in his place to exercise the powers of the Chief Executive Officer until his return.

10. (1) The Authority may appoint such officers and other staff, in such manner and with such qualifications, as may be prescribed.

Officers and other staff of authority.

(2) The salary, allowance payable to and the other terms and conditions of service of officers and other staff of the Authority shall be such, as may be prescribed.

(3) The Chief Executive Officer may appoint, in such manner, for such temporary period and on such terms and conditions, such other staff, as it may consider necessary for the efficient performance of its functions, as may be specified by regulations.

11. (1) There shall be a Residents Advisory Council to advise the Authority and provide guidance on the exercise of its powers and performance of its functions.

Residents advisory Council.

(2) The Residents Advisory Council shall consist of the Chief Executive Officer, who shall preside over the meetings of the council and the following members, namely:-

- (a) Commissioner of the Municipal Corporation, Gurugram, ex-officio member;
- (b) Commissioner of Police, Gurugram, ex-officio member;
- (c) Deputy Commissioner, Gurugram, ex-officio member;
- (d) Chief Administrator of the Haryana Urban Development Authority or an officer not below the rank of Administrator, to be nominated by the Chief Administrator, ex-officio member;
- (e) such officers of the Authority, not exceeding four, as the Chief Executive Officer may, from time to time, nominate, ex-officio members;
- (f) such officers, not exceeding three, of the State Government or any board or company or any agency wholly owned by the State Government and having their headquarters in the notified area, as the executive committee may, from time to time, nominate, ex-officio members;
- (g) such persons, not less than ten and not more than fifteen, being residents in the notified area, to be nominated amongst resident welfare associations, civil society, labour, industry, real estate developers, commerce and services by the Authority or the Executive Committee, in such manner and for such term, as may be prescribed, members.

(3) The Residents Advisory Council shall monitor the implementation of the annual plan of action for infrastructure development, mobility management plan and the plan for sustainable management of the urban environment and make such recommendations, as it may decide.

(4) The recommendations of the Residents Advisory Council, alongwith an explanatory memorandum on the action taken or proposed to be taken thereon, shall be placed by the Chief Executive Officer before the Authority.

(5) The procedure for conduct of meetings and transaction of business of the Residents Advisory Council shall be such, as may be prescribed.

(6) The members of the Residents Advisory Council nominated under clause (g) of sub-section (2), shall receive such allowances for attending the meetings of the Authority, as may be prescribed.

General
superintendence,
direction and
management of
affairs of
Authority.

12. (1) Subject to the other provisions of this Act, rules and regulations made thereunder, the general superintendence, direction and management of the affairs of the Authority shall vest in the Chief Executive Officer.

(2) The Chief Executive Officer may by an order, delegate any of his powers to any officer of the Authority on such terms and conditions, as may be determined:

Provided that each such order of delegation and the terms and conditions of such delegation shall be placed before the Authority.

Avoidance of
conflict of
interest.

13. A member of the Authority or a member of the Residents Advisory Council, having any direct or indirect interest, whether pecuniary or otherwise, in any matter coming up for consideration at a meeting of the Authority or the Residents Advisory Council, as the case may be, shall disclose the nature of his interest at such meeting and shall not take any part in any deliberation or decision of the Authority or the Residents Advisory Council, as the case may be, with respect to that matter.

Disclosure of
information.

14. The Chief Executive Officer and such officers of the Authority, as the Authority may determine and members of the Residents Advisory Council shall, as soon as may be after appointment and every year thereafter, make a declaration, in such form and manner, as may be specified by regulations, on the extent of his interest, whether direct or indirect and whether pecuniary or otherwise, in any property, business or employment of any family member in the notified area or any matter concerning or related to the affairs of the Authority and the declaration so made shall be placed on the website of the Authority.

Powers of
Director to be
exercised by Chief
Executive Officer.

15. The Chief Executive Officer shall, within the limits of the notified area, exercise such powers as are conferred upon the Director under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

Powers, functions
and duties of
Authority.

16. (1) The powers, functions and duties of the Authority may, inter alia, provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) prepare, sanction, implement plans, projects and schemes for infrastructure development and provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area;
- (b) maintain or cause to be maintained, all infrastructure development work, urban amenities and properties vested in or under the control and management of the Authority;
- (c) implement projects, schemes or measures for coordinated and integrated infrastructure development and urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area, as may be entrusted, with the concurrence of the Authority, to it by the Central Government or the State Government or by any board, company or other agency of the Central Government or State Government;

- (d) coordinate, for the purposes of integrated infrastructure development, provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development, with the Central Government or State Government, local authority, boards, companies or other agencies;
- (e) co-ordinate the regulation of the mobility management plan in the notified area;
- (f) operate or collaborate through the formation of joint venture companies or limited liability partnerships in the establishment, development and operation of public transportation, including mass transportation or integrated multi-modal transportation, within the notified area;
- (g) stimulate urban regeneration and renewal through planning, redevelopment and renovation of areas within the notified area;
- (h) prepare a disaster management plan and take such measures for prevention of disasters and mitigation of its effects in the notified area, in so far as they relate to infrastructure development;
- (i) establish, operate and maintain the public safety answering point of the emergency response system for the notified area;
- (j) carry out surveys for the purposes as mentioned in foregoing clauses;
- (k) advise or make recommendations to the State Government on any matter for coordinated and integrated infrastructure development, provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area;
- (l) assist local authorities through capacity building to enable them to exercise their powers and perform their functions under the appropriate law by which they have been established;
- (m) undertake or cause to be undertaken, studies, research and analysis on urban planning, urban regeneration and renewal, coordinated and integrated infrastructure development and provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development or for any other purpose under this Act;
- (n) perform such other functions and discharge such other duties, as the State Government may, by notification, require the Authority to undertake in furtherance of its objects.

(2) The Authority may, in the exercise of its powers, performance of its functions or discharge of its duties,-

- (a) recommend to the State Government to acquire, in accordance with any law for the time being in force, land for the purposes of the Authority;
- (b) purchase, exchange, transfer, hold, lease, manage and dispose land in such manner, as may be specified by regulations;
- (c) acquire land for implementation of plans for infrastructure development and sustainable management of the urban environment, in exchange for transferable development rights issued in lieu of payment towards cost of land in such manner and for such exchange value as the Authority may, in accordance with the policy in this regard notified by the State Government, determine;
- (d) acquire, lease, hold, manage, maintain and dispose property, movable or immovable, other than land;
- (e) establish a modern geospatial based system for planning purposes and for land, infrastructure, urban amenities and urban environment in the notified area;

- (f) enter into contracts or agreements with any person, board, company, local authority or other agency;
- (g) form with the prior approval of the State Government and on such terms and conditions, as may be approved by the State Government, joint venture companies and limited liability partnerships, with boards, companies or other agencies;
- (h) direct the appropriate local authority having jurisdiction or the District Magistrate to remove any obstruction or encroachment on roads including cycling tracks, open spaces, pedestrian footpaths or properties vesting in or under the control and management of the Authority;
- (i) require, the police to take, as immediately as may be practicable, action in the aid of the Authority;
- (j) to do all such other acts and things which may be necessary for or incidental or conducive to, any matter which may arise on account of exercise of powers and performance of functions and which are necessary for furtherance of the objects for which the Authority is established.

Infrastructure
development plan.

17. (1) The Chief Executive Officer shall, within a period of four months from the commencement of this Act and at such intervals thereafter, as may be prescribed, after such consultations as may be specified by regulations, prepare an infrastructure development plan for the notified area:

Provided that such infrastructure development plan shall be in conformity with the final plans published under sub-section (7) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

(2) The infrastructure development plan shall –

- (a) describe and detail the infrastructure development work and urban amenities, including but not limited to roads, water supply, sewage disposal, storm water drainage, electricity, solid waste management, public transportation, parking and other urban amenities, required for the maintenance of a reasonable standard of livability in the notified area or part thereof:

Provided that nothing in this clause shall apply to any internal development work under the control and management of the local authority or internal development work undertaken or intended to be undertaken, by any owner who has been granted a licence under sub-section (3) of section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975):

Provided further that the parameters for measuring the reasonable standard of livability of residents shall be such, as may be determined by the Authority;

- (b) specify the right of way requirements for infrastructure development work under, over, along, across or upon any road or public street or any property vested in or under the control or management of the Authority, including but not limited to electricity, telecommunications, piped natural gas, provided by entities under a licence issued by or under any State law:

Provided that the right of way requirements shall make provision for prevention of frequent damage to road and related infrastructure standing thereon.

(3) The Chief Executive Officer shall cause the infrastructure development plan to be published on the website of the Authority for the purpose of inviting objections or suggestions thereon.

(4) Any person, including a member of the Residents Advisory Council nominated under clause (g) of sub-section (2) of section 11, may within a period of thirty days from the date of publication of the plan under sub-section (3), send his objections or suggestions in writing, if any, in respect of such plan to the Chief Executive Officer and he shall submit, within a period of sixty days from the aforesaid date, the infrastructure development plan alongwith his recommendations to the Authority.

(5) After considering the objections and suggestions, if any, and the recommendations of the Chief Executive Officer thereon, the Authority shall, subject to such modifications as it deems fit, prepare final infrastructure development plan and publish the same on the website of the Authority.

18. (1) The Chief Executive Officer shall, based on the infrastructure development plan published under sub-section (5) of section 17 and an assessment of the availability of resources, prepare an annual plan of action for infrastructure development and provision of urban amenities in the ensuing financial year.

Annual
infrastructure
development plan.

(2) The annual plan of action for infrastructure development and provision of urban amenities referred to in sub-section (1) shall contain schemes or projects for infrastructure development work or urban amenities proposed in the ensuing financial year alongwith an estimate of funds required for its implementation and source of funding.

(3) The annual plan of action for infrastructure development under sub-section (1) shall include a statement of infrastructure development work and urban amenities –

- (a) included in the annual plan of action of the current financial year that have not started alongwith reasons thereof;
- (b) that have been started, either in the current financial year or in the financial years preceding the current financial year, but not completed alongwith reasons thereof;
- (c) that have been completed or are likely to be completed in the current financial year.

(4) The annual plan of action for infrastructure development shall include an assessment by the Chief Executive Officer, after obtaining information required for the purpose, of infrastructure development and provision of urban amenities proposed or under implementation by any person, board, company or other agency in the notified area.

(5) The Chief Executive Officer shall submit, at least one month before the end of the financial year, the annual plan of action for infrastructure development and provision of urban amenities referred to in sub-section (2) and the statement referred to in sub-section (3) to the Authority.

(6) The Authority shall, before the commencement of the ensuing financial year and after consideration of the annual plan of action for infrastructure development and provision of urban amenities, approve the plan with such amendments or modifications, if any, as it deems fit:

Provided that any amendment or modification to such annual plan of action shall be made only after an estimate of funds required for its implementation is assessed and the source of funding is identified.

(7) The Chief Executive Officer shall cause the annual plan of action for infrastructure development and provision of urban amenities, alongwith such amendments or modifications as the Authority may direct, to be published on the website of the Authority, immediately as soon as may be practicable, on approval of such annual plan.

19. (1) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, no board, company, agency or person shall, except in accordance with the infrastructure development plan, undertake any infrastructure development, within the notified area, of a nature that has been entrusted to the Authority under this Act or rules or regulations made thereunder.

Infrastructure
development to be
in accordance
with infrastructure
development plan.

(2) Any board, company, agency or person desiring to undertake infrastructure development referred to in sub-section (1) shall intimate, in writing to the Chief Executive Officer, its proposal for infrastructure development, in such form and manner, as may be specified by regulations, alongwith a certificate to the effect that the proposal is in accordance with the infrastructure development plan:

Provided that the local authority or any owner who has been granted a licence under sub-section (3) of section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) shall not submit a proposal for internal development work to the Authority:

Provided further that the local authority shall inform the Authority about its intent to undertake any infrastructure development work other than an internal development work and such information shall be provided, except when it is of an emergent nature, at least thirty days prior to the commencement of such infrastructure development work.

(3) The Chief Executive Officer immediately on the receipt of the proposal referred to in sub-section (2) but not later than three working days, shall cause to place the proposal alongwith all documents submitted, on the website of the Authority.

(4) Any resident of the notified area may, within a period of twenty-one days from the date on which the proposal was placed on the website of the Authority under sub-section (3), submit his objections or suggestions on the proposal to the Chief Executive Officer.

(5) The Chief Executive Officer shall, within a period of sixty days from the date on which the proposal was placed on the website of the Authority under sub-section (3) and after examination of the objections and suggestions and making such inquiry as he considers necessary, either give his concurrence to the proposal or submit his recommendations alongwith reasons thereof to the board, company, agency or person submitting the proposal under sub-section (2).

(6) The concurrence or the recommendations alongwith reasons thereof referred to in sub-section (5), shall be placed on the website of the Authority.

(7) If the Chief Executive Officer, while making his recommendations under sub-section (5), comes to the conclusion that the proposal has a material and pervasive effect and affects public interest, he shall proceed forthwith to submit his recommendations to the Chairperson of the Authority.

(8) The Authority shall, after consideration of the recommendations of the Chief Executive Officer give such directions, subject to the provisions of this Act and rules made thereunder, as it may deem fit and the Chief Executive Officer shall be bound to act in accordance with such directions.

Special provisions regarding right of way for infrastructure development work.

20. (1) The Authority shall specify the right of way requirements for laying infrastructure development work under, over, along, across or upon any road or public street or any property vested in or under the control or management of the Authority:

Provided that such right of way requirements shall be consistent with the provisions of—

- (i) the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act 13 of 1885) or rules made thereunder, in respect of telecommunication infrastructure;
- (ii) the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) or rules made thereunder, in respect of electricity infrastructure;
- (iii) the Metro Railways (Construction of Work) Act, 1978 (Central Act 33 of 1978) or rules made thereunder, in respect of metro railway infrastructure;
- (iv) the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) or rules made thereunder, in respect of petroleum and natural gas pipelines.

(2) The Authority shall, in respect of any property vested in it or under its control or management, exercise the powers –

- (i) of the local authority under the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act 13 of 1885) and the appropriate authority under the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, for underground telegraph infrastructure and over ground telegraph infrastructure;
- (ii) conferred under the rules made by the State Government under sections 67 and 68 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) for electricity infrastructure.

(3) No person, board, company or other agency shall, except in accordance with the right of way requirements undertake any infrastructure development work within the notified area.

(4) Where the infrastructure development work is proposed to be provided under any road or public street or any property vested in or under the control or management of the Authority, the Chief Executive Officer may require the provider of such infrastructure development work to ensure provision of positional intelligence through appropriate technology to enable the Authority to obtain real time information on the location of such infrastructure development work.

(5) The Authority may, either on its own or through collaboration with one or more providers of any infrastructure development work, construct a shared infrastructure for all public utilities that are likely to be laid under any road or public street and on construction of such shared infrastructure require all providers of infrastructure development work laid or proposed to be laid under any road or public street to use the shared infrastructure:

Provided that the nature of the shared infrastructure, the terms and conditions of its construction and shared use shall be such, as may be approved by the Authority.

(6) If the Chief Executive Officer is of the opinion that public interest shall be served by shifting of any infrastructure development work laid under, over, along, across or upon any road or public street or any property vested in or under the control or management of the Authority, he may direct the owner of such infrastructure development work to shift or alter the infrastructure so provided within such time, as he may reasonably determine:

Provided that if no compensation was paid to the Authority or its predecessor in interest at the time of laying of the infrastructure development work, the shifting or alteration of such infrastructure shall be undertaken by the owner of such infrastructure at their cost, unless specifically exempted by an order of the Authority:

Provided further that where the shifting or alteration of the infrastructure development work is required for the implementation of another infrastructure development work, then the shifting or alteration, including the cost of such shifting or alteration thereof, may, if the Chief Executive Officer so directs, be undertaken by the owner of the other infrastructure development work:

Provided further that if owner of the infrastructure development work makes a request with reasons thereof, to the Chief Executive Officer for an extension in time for the shifting or alteration of such infrastructure development work, the Chief Executive Officer shall, having regard to the public interest and the reasons cited for the request for extension in time, may grant or refuse the extension.

Explanation.— For the purposes of this clause, the word “compensation” shall not include the payment made or incurred on reinstatement or restoration of damage to land.

21. (1) The Chief Executive Officer shall, in consultation with the Commissioner of Police, Gurugram, Commissioner of the Municipal Corporation, Gurugram, Deputy Commissioner, Gurugram and after such other consultations, as the Chief Executive Officer deems fit, prepare from time to time, a mobility management plan for managing mobility in the notified area.

Mobility
management plan.

(2) The mobility management plan shall include –

- (a) measures for infrastructure development, including improvement of road junctions, construction of roads, bridges, pedestrian footpaths, subways and such other construction or improvement, as the case may be;
- (b) measures for infrastructure development aimed at enhancing safety of life and prevention of accidents on public roads;
- (c) measures in regard to public transportation, mass transportation, integrated multi-modal transportation, bus shelters, parking and their improvement;
- (d) measures to regulate parking, traffic, installation of traffic signals and the transit of vehicles, including its speed, form, construction, weight, size or laden with such heavy or unwieldy objects, as may be likely to cause injury;

- (e) measures to regulate access to premises from any particular public street carrying high speed vehicular traffic;
- (f) such other measures, as in the opinion of the Chief Executive Officer, Commissioner of Police, Gurugram and Commissioner of Municipal Corporation, Gurugram, may be required for managing mobility in the notified area.

(3) The mobility management plan shall be submitted to the Residents Advisory Council and it shall make such recommendations, if any, as it may decide.

(4) The mobility management plan shall be submitted to the Authority alongwith the recommendations of the Residents Advisory Council, if any and the Authority shall approve the plan with such amendments or modifications, as it deems fit.

(5) The Chief Executive Officer shall cause the mobility management plan alongwith such amendments or modifications, as the Authority may direct, to be published on the website of the Authority on approval of the plan.

(6) The Commissioner of Police, Gurugram, Commissioner of Municipal Corporation, Gurugram or such other officer, as may be empowered under the law for the purpose, shall be responsible for enforcement of the measures in regard to clauses (d) and (e) of sub-section (2) requiring the imposition of any penalty for violation of such law for the time being in force.

(7) The exercise of powers by the Commissioner of the Municipal Corporation, Gurugram under section 221 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), shall be in accordance with the mobility management plan.

Special provisions regarding operation of city bus service.

22. The State Government shall, in public interest and pursuant to a proposal regarding a scheme published in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 99 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and published under sub-section (3) of section 100 of the said Act for the purpose of providing an efficient, adequate, economical and properly coordinated road transport service, permit the Authority to operate a city bus service within the notified area.

Plan for sustainable environment management.

23. (1) The Chief Executive Officer shall, in consultation with the Chief Conservator of Forests, the Deputy Commissioner of Gurugram, the Commissioner of the Municipal Corporation, Gurugram and such other persons, as the Chief Executive Officer deems fit, prepare, from time to time, a plan for sustainable management of the urban environment of the notified area.

(2) The plan for sustainable management of the urban environment shall include –

- (i) provision for urban forestry, tree plantation and horticulture so as to endeavour to achieve such international standards for green spaces, as the Authority may determine;
- (ii) measures for solid waste management and water conservation, as may be necessary and desirable.

(3) The Chief Executive Officer shall cause the plan for sustainable management of the urban environment to be published on the website of the Authority for the purpose of inviting objections or suggestions thereon.

(4) Any person, including a member of the Residents Advisory Council nominated under clause (g) of sub-section (2) of section 11, within a period of twenty-one days from the date of publication of the plan under sub-section (3) send to the Chief Executive Officer, his objections and suggestions, if any, in respect of such plan and the Chief Executive Officer shall submit, within a period of sixty days from the aforesaid date, the plan for sustainable management of the urban environment alongwith his recommendations to the Authority.

(5) After considering the objections and suggestions, if any, and the recommendations of the Chief Executive Officer thereon, the Authority shall, subject to such modifications, as it deems fit, decide as to the final plan for sustainable management of the urban environment and publish the same on the website of the Authority.

(6) The plan for sustainable management of the urban environment may, from time to time as may be required, be modified after following the process described in sub-section (3) to (5), in so far as the modification is concerned.

(7) On the approval of the plan for sustainable environment management, the Municipal Corporation, Gurugram or the Haryana Urban Development Authority, as the case may be, shall incorporate such of the measures, as it may relate to the erection of buildings, including but not limited to water conservation, recycling of waste water, rain water harvesting, provision of roof-top solar energy, as the case may be, in the building bye-laws of the Municipal Corporation or the Haryana Urban Development Authority, as the case may be, applicable in the notified area.

24. Where any infrastructure development work has been provided or is under the control and management of the Authority, the Chief Executive Officer may require the local authority, within whose local limits such infrastructure development work is situated, to assume the responsibility for the maintenance of such infrastructure development work, on such terms and conditions, as may be agreed upon between the Authority and that local authority:

Power of Authority to require local authority to assume responsibilities for maintenance.

Provided that where such terms and conditions have not been agreed upon, the Chief Executive Officer shall make, in consultation with the Commissioner or Executive Officer of the local authority concerned, a statement on the difference in opinion on the specific terms and conditions and submit such statement to the State Government for a decision and the decision of the State Government shall be final and binding on the Authority and the local authority.

25. The Authority may, for the purposes of exercise of its powers or performance of its functions, undertake the survey of any land or building within the notified area and for that purpose it shall be lawful for any officer or employee of the Authority or any person engaged by any local authority, company or other agency duly authorized in this regard-

Power of Authority to survey.

- (a) to enter in or upon any land and to take levels of such land;
- (b) to dig or bore into the sub-soil;
- (c) to set out levels and boundaries by placing marks and cutting trenches;
- (d) to cut down or clear away any obstruction where otherwise the survey cannot be completed, levels taken and boundaries marked;
- (e) to demarcate intended alignment of any infrastructure development work, urban amenity, urban forestry or any purpose for which the Authority is competent to undertake under this Act;
- (f) to examine work under construction relating to any infrastructure development work, urban amenity, urban forestry or any purpose for which the Authority is competent to undertake under this Act;
- (g) to ascertain whether any land or property is being or has been developed in accordance with the final development plan published under sub-section (7) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963), or the terms and conditions under which development has been permitted under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, as the case may be;
- (h) to do all such acts necessary for the exercise of powers or performance of functions by the Authority under this Act:

Provided that –

- (i) no entry shall be made except between the hours of 0600 and 1800;
- (ii) notice of the intention to enter is given at least one day prior to the date on which the entry is proposed to be made.

26. The Chief Executive Officer may direct the local authority having jurisdiction to remove any unauthorised development in the notified area or obstructions and encroachments on roads including cycling tracks, open spaces, pedestrian footpaths or properties vesting in or under the control and management of the Authority in such form, as may be prescribed:

Power of Chief Executive Officer to direct removal of unauthorised development, obstructions or encroachment.

Provided that where the Chief Executive Officer is of the opinion that the local authority having jurisdiction is or may be unable to remove such unauthorised development, obstruction or encroachment, he shall direct the District Magistrate to remove such unauthorised development, obstruction or encroachment in such form and manner, as may be prescribed.

Measures for promotion of social, economic and industrial development.

27. (1) The Authority shall take such measures, as may be necessary, for the promotion of social, economic and industrial development in the notified area.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Authority shall promote, collaborate in and facilitate the establishment of affordable hospitals, sports facilities, cultural centres, research institutions engaged or proposing to engage, in research into new knowledge areas, start up companies in new knowledge areas, skill development centres and such other institutions, as may be determined by the Authority.

Explanation.— For the purposes of this Act, the words “new knowledge areas” shall mean such knowledge areas, innovation or enterprise as the Authority may, from time to time, determine and publish on the website of the Authority.

(3) The Authority shall enable the establishment of a public trust under the provisions of the Indian Trust Act, 1882 (Central Act No.2 of 1882) to be managed by the residents of the notified area with the support of the Authority to receive and utilise in the notified area, for the activities mentioned under Schedule VII of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013), the sums required to be spent in pursuance of Corporate Social Responsibility Policy under the provisions of section 135 of the said Act.

(4) The Authority shall facilitate the ease of doing business by such measures and ensuring such coordination as may be necessary for the purpose, as the Authority may, from time to time, decide:

Provided that the State Government may, on the recommendations of the Authority and by notification, empower the Chief Executive Officer or any officer of the Authority, to exercise such powers and on such terms and conditions, as may be mentioned in the notification, as are exercised by any officer of the State Government or board under any State.

(5) The Authority shall establish, promote or facilitate the establishment of common facilities for industries, services or business including logistics infrastructure.

(6) The mechanisms of promotion, collaboration and facilitation under sub-section (2) shall be such, as may be specified by regulations.

Coordination committees and standing committees.

28. (1) Subject to such terms and conditions, as may be specified by regulations, the Authority may constitute as many coordination committees and as many standing committees, as it thinks fit, with such terms of references as the Authority may determine for exercising any power or discharging any function or for monitoring or reporting or advising upon any matter which the Authority may refer to them.

(2) The coordination committee shall consist exclusively of officers of the Authority or the State Government or any board or company owned or controlled by the State Government, but the standing committee shall include residents of the notified area who are not employees of the Authority or the State Government or any board or company owned or controlled by the State Government. The number of such persons shall not exceed one-third of its total membership.

(3) The members of the standing committees constituted under sub-section (1), other than the officers of the Authority or the State Government or any board or company owned or controlled by the State Government, may be paid such fees and allowances for attending meetings and any other work of the committee, as may be determined, from time to time, by the Authority.

Avoidance of conflict of interest.

29. (1) A member of any coordination committee or standing committee, having any direct or indirect interest, whether pecuniary or otherwise, in any matter coming up for consideration at a meeting of such coordination committee or standing committee, as the case may be, shall disclose the nature of his interest at such meeting and shall not take any part in any deliberation or decision of such coordination committee or standing committee, as the case may be, with respect to that matter.

(2) A member of any coordination committee or any standing committee, shall, as soon as may be after appointment and every year thereafter, make a declaration, in such form and manner, as may be specified by regulations, on the extent of his interest, whether direct or indirect and whether pecuniary or otherwise, in any property, business or employment of any family member in the notified area or any matter concerning or related to the affairs of the Authority and the declaration so made shall be placed on the website of the Authority.

- 30.** The Chief Executive Officer may engage, on such fee and remuneration and for such period, such experts having such experience, as may be specified by regulations. Power to engage experts.
- 31.** The Authority shall ensure transparency and adoption of information technology while exercising its powers and discharging its functions. Authority to ensure transparency etc.
- 32.** (1) The Authority shall have and maintain its own fund to which shall be credited - Funds of Authority.
- (a) all moneys received or due to be received, prior to the commencement of the Act by the State Government and unspent at the time of commencement of this Act on account of proportionate development charges for external development work in the notified area, payable by the owner granted a licence under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975);
 - (b) such share of moneys collected by the Municipal Corporation, Gurugram prior to the commencement of this Act and deposited with the State Government, as the State Government may determine;
 - (c) all moneys received by the Authority from the Central Government or the State Government or the Municipal Corporation, Gurugram by way of grants, loans, advances or otherwise;
 - (d) all moneys borrowed by the Authority from sources other than State Government, by way of loans or debentures;
 - (e) all fees, charges or levies received by the Authority under this Act;
 - (f) all moneys received by the Authority from the disposal of property, moveable and immovable; and
 - (g) all moneys received by the Authority by way of rents and profits or in any other manner or from any other source.
- (2) The fund shall be applied towards meeting expenditure—
- (a) in infrastructure development, provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area;
 - (b) in operation and maintenance of assets created for purposes of infrastructure development, provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area;
 - (c) salaries and allowances of the Chief Executive Officer, other officers and employees of the authority;
 - (d) in the administration of the Act;
 - (e) for acquisition of land for purposes of this Act;
 - (f) in joint ventures and limited liability partnerships for infrastructure development, provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area;
 - (g) on redevelopment and urban renewal in the notified area;
 - (h) for such purposes in the exercise of powers or performance of functions under this Act as the Authority may approve or the State Government may direct or permit.
- 33.** The State Government may make to the Authority grants, loans or advances of such sums of money annually, as the State Government may deem necessary and all grants, loans or advances so made shall be on such terms and conditions, as the State Government may determine. Annual grants, loans and advances to Authority.
- 34.** The Authority may, from time to time, borrow money by way of loans, bonds or debentures or other instruments from sources other than the State Government, on such terms and conditions, general or specific, as may be approved by the State Government. Power of Authority to borrow.

- Power of Authority to invest.
- 35.** (1) The Authority may invest any portion of its funds in such investments, as may be specified by regulations.
- (2) The Authority may, with the prior approval of the State Government, invest in establishment of joint venture companies and limited liability partnerships for infrastructure development and provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area.
- Priority of payment for interest and repayment of loans.
- 36.** All payments by the Authority on account of interest on loans or the repayment of loans shall be made on priority to all other dues of the Authority.
- Application of Funds.
- 37.** All properties, funds and other assets vesting in the Authority shall be held and applied by it for the purposes and subject to the provisions of this Act.
- Budget.
- 38.** (1) The Chief Executive Officer shall submit, in such form and at such time every year, as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and disbursements of the Authority.
- (2) The Authority shall, subject to such modifications and revisions as it may decide, approve the budget submitted under sub-section (1).
- (3) The budget as modified or revised by the Authority, shall be forwarded to the State Government alongwith such number of authenticated copies, as may be required by the State Government and the State Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.
- (4) The Chief Executive Officer shall cause the budget as modified or revised by the Authority, to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the State Legislature under sub-section (3).
- Accounts and audit.
- 39.** (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form, as may be prescribed.
- (2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Accountant General of Haryana and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General of Haryana.
- (3) The Accountant General of Haryana and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General of Haryana has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Authority.
- (4) The accounts of the Authority as certified by the Accountant General of Haryana or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and an explanatory memorandum on the action so taken or proposed to be taken shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause a copy of the same to be laid before the State Legislature.
- (5) The Chief Executive Officer shall cause the accounts of the Authority together with the audit report and the explanatory memorandum to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the Legislature under sub-section (4).
- Annual report.
- 40.** (1) The Chief Executive Officer shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date, as may be prescribed and the State Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.
- (2) The report referred to in sub-section (1) shall include an explanatory memorandum on the status of implementation of the annual plan of action on infrastructure development, mobility management and sustainable environmental management alongwith shortfalls, if any, in implementation and reasons for such shortfall.

(3) The Chief Executive Officer shall cause the report together with the explanatory memorandum to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the Legislature under sub-section (1).

41. (1) The Authority shall be eligible to receive the proportionate development charges for external development work and paid or payable by an owner granted a licence in the notified area of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975):

Charges and levies receivable by Authority.

Provided that such proportionate development charges shall be collected by the Director under the said Act and transferred to the Authority.

(2) The Authority shall receive the conversion charge payable under sub-sections (1) and (1A) of section 7 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

(3) The Authority shall have the power to levy a duty on the transfer of immovable properties situated within the limits of the notified area in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), as in force for the time being in the State of Haryana, on every instrument of the description specified below and at such rate, as the State Government may, by notification, direct, which shall not be more than two per centum on the amount specified below against such instruments:-

- (i) sale of immovable property - the amount or value of the consideration for the sale as set forth in the instrument;
- (ii) exchange of immovable property - the value of the property or the greater value as set forth in the instrument;
- (iii) gift of immovable property - the value of the property as set forth in the instrument;
- (iv) mortgage with possession of immovable property - the amount secured by the mortgage as set forth in the instrument;
- (v) lease in perpetuity of immovable property - the amount equal to one-sixth of the whole amount or value of the rent which shall be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease, as set forth in the instrument:

Provided that the said duty shall be collected, at the time of registration of documents by the Registrar or Sub-Registrar under the Indian Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) and paid to the Authority.

(4) The Authority may levy, with the prior approval of the State Government, a charge, at such rates, as may be notified, on the sale and consumption of liquor in the notified area:

Provided that such charge shall be collected by the Excise Commissioner under the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and transferred to the Authority.

42. (1) The State Government may, on the recommendation of the Authority by notification, levy a cess on property, lands and buildings in the notified area or any part thereof, at such rate, as may be determined, from time to time:

Authority to receive cess on property.

Provided that the cess shall be levied only for the purpose of payment of interest and repayment of loans, bonds or debentures borrowed, by the Authority from sources other than the State Government, specifically for the purposes of implementation of the infrastructure development plan or the plan for sustainable management of the urban environment and for no other purpose:

Provided further that if any surplus on account of the cess remains after payment of such sums as are permissible under the first proviso, then such surplus shall be returned or adjusted, as the case may be, in such manner, as may be specified by regulations.

(2) The cess may be levied at different rates for different areas and for different classes of properties.

(3) The cess shall be collected by the local authority within whose areas the properties are situated as if the cess were a property tax levied by it under the law governing such local authority and shall first be credited to the Consolidated Fund of the State.

(4) The State Government shall after the appropriation made by the State Legislature by law in this behalf pay to the Authority, from time to time, the entire proceeds of the cess credited to the Consolidated Fund of the State for being utilised by the Authority for the purposes of this Act.

Power to levy user charges.

43. (1) The Authority may, for the purposes of recovering wholly or in part, any expenditure on any infrastructure development work or urban amenity provided or maintained by it, directly or indirectly under its authorisation, levy and collect a charge from the users of such infrastructure development work or urban amenity.

(2) The user charge for each infrastructure development work or urban amenity shall be such, as may be determined, by the Authority:

Provided that the Authority shall be eligible to collect the user charge from such date, not being less than a period of seven days from the date of its publication on the website of the Authority.

(3) The Chief Executive Officer may authorise or assign any person, company, board or any other agency, the collection of the user charge on such terms and conditions, as the Chief Executive Officer may, with the prior approval of the Authority, determine.

Mode of recovery of money due.

44. Any money due to the Authority on account of external development charges or other charges or from lands, buildings or other properties, movable or immovable or by way of rents and profits may be recovered as follows, namely:-

- (i) as arrears of land revenue upon a certificate of the amount due sent by the Chief Executive Officer or an officer duly authorised by him in this regard to the Collector; or
- (ii) direct the bank holding the bank account of the person, board, company or other agency from whom the money is due to the Authority to freeze such account to the extent of the money due:

Provided that the Authority shall initiate or continue any one of the two modes specified in clause (i) or clause (ii) for recovery:

Provided further that where the money on account of external development charges is due from the person, board, company or other agency granted a licence under clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, the Chief Executive Officer shall write to the Sub-Registrar having jurisdiction to refuse, in exercise of the powers available under section 71 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) to register any document for sale, exchange, gift, mortgage or lease of any immovable property located in the colony for which such licence was granted:

Provided further that the Chief Executive Officer or such officer of the Authority, as may be authorised by the Chief Executive Officer, shall, in case the mode of recovery under clause (ii) is initiated, provide an opportunity of being heard to the person, board, company or other agency from whom the money is due, not later than three days, from the date on which direction is given to the bank:

Provided further that the defaulter shall be liable for action, including criminal action, for such default under any other law for the time being in force.

Transfer of property of Haryana Urban Development Authority in Authority.

45. (1) The State Government shall within a period of three months from the commencement of this Act on the recommendations of the Chief Administrator of the Haryana Urban Development Authority and the Chief Executive Officer, by notification, publish a transfer scheme providing for the transfer of property, interest in property, rights and liabilities to the Authority in the manner hereinafter provided.

(2) Where there is a difference of opinion between the Chief Administrator of the Haryana Urban Development Authority and the Chief Executive Officer, the State Government shall take such decision as it deems fit and such decision shall be final and binding upon the Haryana Urban Development Authority and the Authority.

(3) Any property, interest in property, rights and liabilities vested in the Haryana Urban Development Authority, in so far as it pertains to any of the powers exercisable or functions dischargeable by the Authority under this Act, shall be re-vested by the State Government in the Authority, in accordance with the transfer scheme so published, on such terms and conditions, as may be approved by the State Government.

- (4) Notwithstanding anything contained in this section, where,-
- (a) the transfer scheme involves the transfer of any property or rights from any person or undertaking not wholly owned by the Haryana Urban Development Authority, the scheme shall give effect to the transfer only for fair value to be paid by the Authority to the Haryana Urban Development Authority;
 - (b) a transaction of any description is effected in pursuance of a transfer scheme, it shall be binding on all persons including third parties and even if such persons or third parties have not consented to it.
- (5) A transfer scheme under this section may-
- (a) define the property, interest in property, rights and liabilities to be transferred -
 - (i) by specifying or describing the property, interest in property, rights and liabilities in question; or
 - (ii) by referring to all the property, interest in property, rights and liabilities comprised in a described part of the transferor's undertaking; or
 - (iii) partly in one way and partly in the other;
 - (b) provide that any rights or liabilities stipulated or described in the scheme shall be enforceable by or against the transferor or the transferee;
 - (c) impose on the transferor an obligation to enter into such written agreements with or execute such other instruments in favour of any other subsequent transferee, as may be stipulated in the scheme;
 - (d) provide for the transfer of physical and digital records;
 - (e) mention the functions and duties of the transferee;
 - (f) make such supplemental, incidental and consequential provisions as the transferor considers appropriate including provision stipulating the order as taking effect; and
 - (g) provide that the transfer shall be provisional for a stipulated period.
- (6) All debts and obligations incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the Haryana Urban Development Authority, before a transfer scheme becomes effective shall, to the extent specified in the relevant transfer scheme, be deemed to have been incurred, entered into or done by the Authority, with the Authority and all suits or other legal proceedings instituted by or against the Haryana Urban Development Authority, may be continued or instituted by or against Authority.
- (7) The Haryana Urban Development Authority shall cease to be charged with and shall not perform the functions and duties with regard to transfers made on and after the effective date.

46. (1) As soon as may be practicable and within a period of three months on the commencement of this Act, the State Government shall, on the recommendations of the Managing Director of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited and the Chief Executive Officer of the Authority and by notification, publish a transfer scheme providing for the transfer of property, interest in property, rights and liabilities to the Authority in the manner hereinafter provided.

Transfer of property of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation in Authority.

(2) Where there is a difference of opinion between the Managing Director of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited and the Chief Executive Officer of the Authority, the State Government shall take such decision as it deems fit and such decision shall be final and binding upon the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited and the Authority.

(3) Any property, interest in property, rights and liabilities vested in the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation in so far as it pertains to any of the powers exercisable or functions dischargeable by the Authority under this Act, shall be re-vested by the State Government in the Authority in accordance with the transfer scheme so published, on such terms and conditions, as may be approved by the State Government.

- (4) Notwithstanding anything contained in this section, where,-
- (a) the transfer scheme involves the transfer of any property or rights from any person or undertaking not wholly owned by the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited, the scheme shall give effect to the transfer only for fair value to be paid by the Authority to the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited;
 - (b) a transaction of any description is effected in pursuance of a transfer scheme, it shall be binding on all persons including third parties and even if such persons or third parties have not consented to it.
- (5) A transfer scheme under this section may-
- (a) define the property, interest in property, rights and liabilities to be transferred -
 - (i) by specifying or describing the property, interest in property, rights and liabilities in question; or
 - (ii) by referring to all the property, interest in property, rights and liabilities comprised in a described part of the transferor's undertaking; or
 - (iii) partly in one way and partly in the other;
 - (b) provide that any rights or liabilities stipulated or described in the scheme shall be enforceable by or against the transferor or the transferee;
 - (c) impose on the transferor an obligation to enter into such written agreements with or execute such other instruments in favour of any other subsequent transferee, as may be stipulated in the scheme;
 - (d) provide for the transfer of digital records;
 - (e) mention the functions and duties of the transferee;
 - (f) make such supplemental, incidental and consequential provisions as the transferor considers appropriate including provision stipulating the order as taking effect; and
 - (g) provide that the transfer shall be provisional for a stipulated period.

(6) All debts and obligations incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, before a transfer scheme becomes effective shall, to the extent specified in the relevant transfer scheme, be deemed to have been incurred, entered into or done by the Authority, with the Authority and all suits or other legal proceedings instituted by or against the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, may be continued or instituted by or against Authority.

(7) The Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation shall cease to be charged with and shall not perform the functions and duties with regard to transfers made on and after the date of publication of the scheme.

Review of
performance of
Authority.

47. (1) The State Government shall, within three years from the commencement of this Act and thereafter at the expiration of every third year, constitute a committee, in such manner and consisting of such members, as may be prescribed to evaluate and review the performance of the Authority in the said period.

(2) The committee shall include experts of national eminence and standing in the field of urban governance, infrastructure development, environment, management, public administration.

(3) The committee referred to in sub-section (1) shall evaluate and review the performance of the Authority and make recommendations to the State Government as to -

- (a) the extent of fulfilment of the goals and objectives of the Authority stated in this Act, as demonstrated by the state of infrastructure, urban environment and social, economic and industrial development of the notified area;

- (b) the effectiveness of coordination mechanisms between the Authority, the local authority, the Gurugram Police, the Haryana Urban Development Authority and such other agencies of State Government involved in infrastructure development, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development in the notified area;
- (c) future vision of the Authority along with corrective measures, if any;
- (d) such other matters, as may be referred to the committee by the State Government.

(4) The State Government shall cause to be laid before the State Legislature, the report of the committee constituted under sub-section (1) along with an explanatory memorandum on the action taken or proposed to be taken, thereon in respect of each recommendation of the committee.

48. No act or proceedings of the Authority or any committee constituted by or under this Act shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members. Proceedings not to be invalidated by vacancies.

49. The Authority shall, within such period, as may be specified, furnish to the State Government, such returns or other information with respect to its activities, as the State Government may, from time to time, require. Returns and information.

50. The Authority shall have power to call for any return, report, statistics or other information pertaining to any infrastructure development work, urban amenity or any matter with reference to the powers exercisable in the notified area by the Authority under this Act, from any local authority or any other authority, board, company or other agency, owned or controlled by the Central Government or the State Government, which is required by it in exercise of its powers and the performance of its duties under this Act or any other State law and such local authority or such other authority, board, company or other agency shall be bound to furnish such information. Power of Authority to call for report, return or information from local authority etc.

51. (1) The Authority shall carry out such directions as may be issued to it from time to time, by the State Government. Power of State Government in certain matters.

(2) If in or in connection with, the exercise of its powers and performance of its functions by the Authority under this Act, any dispute arises between the Authority and any local authority in the notified area, Haryana Urban Development Authority or any board, company or other agency of the State Government, such dispute shall be referred to the State Government and the decision of the State Government on any such dispute shall be final.

(3) The State Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the records of any case disposed of or order passed by any officer of the Authority for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit:

Provided that the State Government shall not pass an order prejudicial to any person without affording such person a reasonable opportunity of being heard.

52. Subject to the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law. Act to have overriding effect.

53. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. Application of other laws not barred.

54. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or regulation made thereunder. Protection of action taken in good faith.

Members and officers to be public servants.

55. Every member and every officer and other staff of the Authority or a committee constituted by or under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860).

Power to make rules.

56. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following, matters, namely:—

- (a) the allowances that members, other than ex-officio members, shall receive for attending the meetings of the Authority under sub-section (1) of section 6;
- (b) the time of meeting, the rules of procedure for conduct of business and transaction of business of the Authority under sub-section (1) of section 7;
- (c) the manner in which the Chief Executive Officer shall maintain records of the meetings of the Authority under sub-section (4) of section 7;
- (d) the manner and qualifications for appointment of officers and employees of the Authority under sub-section (1) of section 10;
- (e) the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of officers and other staff of the Authority under sub-section (2) of section 10;
- (f) the manner and term of appointment of persons, being residents of the notified area, to be nominated to the Residents Advisory Council under clause (g) of sub-section (2) of section 11;
- (g) the procedure for conduct of meetings and transaction of business of the Residents Advisory Council under sub-section (5) of section 11;
- (h) the allowances that members, other than ex-officio members, shall receive for attending the meetings of the Residents Advisory Council under sub-section (6) of section 11;
- (i) the intervals at which the Chief Executive Officer shall prepare an infrastructure development plan for the notified area under sub-section (1) of section 17;
- (j) the form in which the appropriate local authority having jurisdiction may be directed to remove any unauthorized development in the notified area or obstructions or encroachments under section 26;
- (k) the form and manner in which the Chief Executive Officer shall direct the District Magistrate to remove any unauthorized development in the notified area or obstructions or encroachments under the first proviso to section 27;
- (l) the form and time every year that the Chief Executive Officer shall submit the budget under sub-section (1) of section 38;
- (m) the form in which the Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet under sub-section (1) of section 39;
- (n) the form and the date, on or before which, the Chief Executive Officer shall prepare and submit to the State Government a report of its activities during that year under sub-section (1) of section 40;
- (o) the number of members, their expertise and the manner of constitution of the committee under sub-section (1) of section 47;
- (p) any other matter which has to be or may be prescribed.

Power to make regulations.

57. (1) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall, by publication on its website, make regulations to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following, matters, namely:—

- (a) the manner, the period and the terms and conditions of appointment of temporary staff under sub-section (3) of section 10;
- (b) the form and manner, in which the Chief Executive Officer, officers of the Authority and members of the Residents Advisory Council shall make a declaration, as soon as may be after their appointment and every year thereafter, on the extent of their interest under section 14;
- (c) the manner in which the Authority may purchase, exchange, transfer, hold, lease, manage and dispose land under clause (b) of sub-section (2) of section 16;
- (d) the form and manner in which any board, company, agency or person its proposal under sub-section (2) of section 19;
- (e) the mechanisms of promotion, collaboration and facilitation under sub-section (6) of section 27;
- (f) the terms and conditions of constitution of coordination committees and standing committees for exercising any power or discharging any function or for monitoring or reporting or advising upon, any matter which the Authority may refer to them under sub-section (1) of section 28;
- (g) the form and manner in which a member shall make a declaration under sub-section (2) of section 29;
- (h) the fee, remuneration and the period of appointment of experts under section 30;
- (i) the investments in which the Authority may invest any portion of its funds under sub-section (1) of section 35;
- (j) the manner in which surplus on account of the cess shall be returned or adjusted under sub-section (1) of section 42;
- (k) any other matter which has to be or may be, specified by regulations.

(3) The Authority may, from time to time, amend or repeal any regulation and each such regulation, its amendment or repeal, as the case may be, shall come into effect from the date of its publication on the website of the Authority.

58. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

59. The notification issued under sub-section (1) of section (3), every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is issued or made, before the State Legislature.

Laying of notification, rules, and regulations before State Legislature.

60. (1) The Gurugram Metropolitan Development Authority Ordinance, 2017 (Haryana Ordinance No. 2 of 2017), is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rapid growth of the Gurugram Metropolitan Area and its emergence as a nucleus for economic development has thrown up challenges in urban governance, infrastructure deficit, decentralized decision making, and independently created townships that, if ignored, can affect the quality of life and well being of the citizens of Gurugram. This growth has led to gaps in integrated urban planning and infrastructure development. The emergence of Gurugram as a metropolitan city has brought about problems of mobility and sustainability of the urban environment that go beyond the limits of the legally defined city limits.

The existing legal architecture for governance of the Gurugram Metropolitan Area has several shortcomings that need to be addressed. Need has been felt for a coordinated and integrated development structure with smooth interface between various departments so as to avoid overlap in the functional and operational responsibilities besides functional empowerment in administrative and financial structures at the local level.

After a study of different models of Metropolitan Development Authorities in India, a new legal structure for coordinated and integrated urban governance through establishment of Gurugram Metropolitan Development Authority has been envisaged.

Gurugram Metropolitan Development Authority is proposed to develop a vision for the continued, sustained and balanced growth of the Gurugram Metropolitan Area through quality of life and reasonable standard of living provided to residents, to provide for integrated and coordinated planning, infrastructure development and provision of urban amenities, mobility management, sustainable management of the urban environment and social, economic and industrial development. It shall endeavour to redefine urban governance and delivery structure in coordination with local authorities in the context of the emergence of Gurugram as a rapidly expanding urban agglomeration.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 22nd October, 2017.

R.K.NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 3 of the proposed bill empowers State Government to declare any area falling within limits of controlled area in Gurugram district to be notified area as Gurugram Metropolitan area. Section 4 of the proposed bill empowers State Government to establish Gurugram Metropolitan Development Authority with effect from any date by notification. Section 9 of the proposed bill empowers State Government to appoint an officer of the State Government as Chief Executive Officer. Section 22 of the proposed bill empowers State Government to permit the Authority to operate a City Bus Service within notified area. Section 42 of the proposed bill empowers State Government to levy a cess on property, lands and buildings in the notified area. Section 45 & 46 of the proposed bill empowers State Government to publish a transfer scheme providing for the transfer of property, interest in property and rights and liabilities of Haryana Urban Development Authority and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited respectively to the authority. Section 47 of the proposed bill empowers State Government to evaluate and review the performance of authority. Section 56 of the proposed bill empowers State Government to make Rules. Section 58 of the proposed bill empowers State Government to make provisions to remove the difficulties in giving effect to the provisions of the proposed bill.

This delegation of powers to the executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required in rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या-36 एच.एल.ए.

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2017
 रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के जरिए निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित
 जीवन स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के निरन्तर, स्थायी
 तथा संतुलित विकास के लिए विजन विकसित करने हेतु, एकीकृत और समन्वित
 योजना, अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन,
 नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के
 स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए उपबन्ध करने हेतु, तेजी से
 बढ़ रही नगर बस्तियों के रूप में गुरुग्राम के आविर्भाव के संदर्भ
 में स्थानीय प्राधिकरणों के समन्वय में नगरीय सुशासन
 और डिलीवरी ढांचे को पुनःपरिभाषित करने हेतु,
 उक्त प्रयोजन के लिए और उससे सम्बन्धित
 और उसके आनुषंगिक मामलों के
 लिए वैधानिक प्राधिकरण
 स्थापित करने हेतु
 विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।
- (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिए किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबन्ध के लागू होने के लिए संदर्भ के रूप में है।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ;
 - (ख) "बोर्ड" से अभिप्राय है, किसी राज्य विधि द्वारा या के अधीन स्थापित बोर्ड;
 - (ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
 - (घ) "कम्पनी" से अभिप्राय है, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी ;
 - (ङ.) "सामूहिक-समाजमूलक जवाबदेही पॉलिसी" से अभिप्राय है, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 135 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित पॉलिसी ;
 - (च) "भू-स्थानिक आधारित प्रणाली" से अभिप्राय है, योजना तथा स्टोर डाटासेट को प्राप्त करने, हेर-फेर हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया तथा तकनीक तथा सूचना, जो अधिसूचित क्षेत्र में प्राकृतिक या निर्मित सुविधाओं की भूगोलिक अवस्थिति, विशेषताओं और अन्य गुणों की पहचान करवाती है तथा इसमें शामिल है—
 - (i) प्राकृतिक या निर्मित सुविधाओं के सीमांकन तथा अधिकारिताएं;
 - (ii) सांख्यिकीय डाटा ;
 - (iii) अन्य वस्तुओं, मॅपिंग, रिमोट सेंसिंग तथा सर्वेडिंग टैक्नोलोजिज से प्राप्त की गई सूचना;

- (छ) "हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण;
- (ज) "अवसंरचना विकास योजना" से अभिप्राय है, धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रकाशित अवसंरचना योजना ;
- (झ) "अवसंरचना विकास कार्य" से अभिप्राय है, अवसंरचना विकास जैसे सड़कें, जल-आपूर्ति प्रणालियां और जल-शोधन, मलवहन प्रणाली, मल-जल शोधन और निपटान, जल-निकास, बिजली प्रेषण और वितरण प्रणालियां, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा, मेट्रो-रेलवे प्रणाली, पाइपड प्राकृतिक गैस संसूचना या ऐसी अन्य नगरीय अवसंरचना जो दो या अधिक सैक्टरों या नगर कालोनियों या गांवों को जोड़ती हो या जो अधिसूचित क्षेत्रों को अवसंरचना जरूरतें उपलब्ध करवाती हैं, किन्तु इसमें कोई आंतरिक विकास कार्य शामिल नहीं है ;
- (ञ) "आंतरिक विकास कार्य" से अभिप्राय है, सड़कों का विकास, जल-आपूर्ति, मल-जल, जल-निकास, बिजली, सफाई की व्यवस्था या अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित सैक्टर, कॉलोनी, नगर कॉलोनी या गांवों के आबादी देह क्षेत्रों के भीतर ऐसी अन्य नगरीय सुविधाएं या नगरीय सुख-सुविधाएं ;
- (ट) "सीमित दायित्व भागीदारी" से अभिप्राय है, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6), के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी;
- (ठ) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय है, अधिसूचित क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो;
- (ड) "गतिशीलता" से अभिप्राय है, व्यक्तियों का पैदल चलना या किसी प्रकार का पहिया वाहन;
- (ढ) "गतिशील प्रबन्धन योजना" से अभिप्राय है, धारा 21 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में गतिशील प्रबन्धन के लिए गतिशील प्रबन्धन योजना ;
- (ण) "अधिसूचना" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना;
- (त) "अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्राय है, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित गुरुग्राम महानगर क्षेत्र;
- (थ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (द) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के विनियम ;
- (ध) "निवासी" से अभिप्राय है, भारत का कोई नागरिक जो अधिसूचित क्षेत्र में सामान्यतया निवास करता है ;
- (न) "निवासी सलाहकार परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 11 के अधीन गठित निवासी सलाहकार परिषद्;
- (प) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;
- (फ) "अन्तरणीय विकास अधिकार" से अभिप्राय है, प्रमाण-पत्र में वर्णित मंजिल क्षेत्र तक निर्माण के लिए प्राधिकृत प्रमाण-पत्र धारक को अधिकार प्रदान करने वाला प्रमाण-पत्र, जिसे प्राधिकृत धारक ऐसे सामान्य निबन्धनों और शर्तों पर तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पॉलिसी के अनुसार ऐसी स्वीकृति के बाद, किसी दूसरे व्यक्ति या कम्पनी या अन्य एजेंसी को अंतरित कर सकता है, जिस पर निर्माण का अधिकार ऐसे व्यक्ति या कम्पनी या अन्य एजेंसी को अंतरित होगा ;
- (ब) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नगरीय क्षेत्र" में नगर निगम, गुरुग्राम की परिधि में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है जो राज्य सरकार की राय में नगरीयकृत होना संभाव्य है;

- (भ) "नगरीय सुख-सुविधाओं" से अभिप्राय है, नगरीय सुख-सुविधाएं जैसे कि पार्क, खेल-मैदान, हरित स्थान, पार्किंग सुविधाएं, लोक वाई-फाई सुविधाएं, लोक बस परिवहन, बस शैल्टर, टैक्सी और रिक्शा स्टैंड, पुस्तकालय, किफायती अस्पताल, सांस्कृतिक केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और कोई अन्य नगरीय सुविधा जो राज्य सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर, नगरीय सुख-सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, किन्तु इसमें अवसंरचना विकास कार्य शामिल नहीं है;
- (म) "नगरीय पर्यावरण" अधिसूचित क्षेत्र में जल, वायु, हरित स्थान, खुले स्थान और नगरीय वानिकी शामिल हैं।

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों किन्तु पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), में परिभाषित और जो इस अधिनियम से अन्वसंगत है के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

गुरुग्राम महानगर क्षेत्र की घोषणा।

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरीय विस्तार के लिए सम्भावना रखने वाले गुरुग्राम जिले में नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और निम्नलिखित किन्हीं या सभी स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन आने वाले किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है,—

- (क) नगर निगम, गुरुग्राम;
- (ख) नगर परिषद, सोहना;
- (ग) नगरपालिका समिति, पटौदी;
- (घ) नगरपालिका समिति, फारुखनगर;
- (ङ) नगरपालिका समिति, हेली मण्डी; तथा
- (च) गुरुग्राम जिले में कोई पंचायत जहां तक ऐसी पंचायत की आबादी देह से संबंधित है।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा की विषय-वस्तु अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में मुद्रित कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

प्राधिकरण की स्थापना।

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण कहा जाने वाला प्राधिकरण स्थापित करेगी।

(2) प्राधिकरण सशक्त उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा रखने वाला उक्त नाम से, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्वधीन चल और अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित, धारण तथा निपटान करने और संविदा करने की शक्ति सहित निगमित निकाय होगा, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

प्राधिकरण का गठन।

5. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :-

- (क) मुख्यमंत्री हरियाणा, अध्यक्ष;
- (ख) कार्यभारी मंत्री, नगर तथा ग्राम आयोजना, पदेन सदस्य;
- (ग) कार्यभारी मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय, पदेन सदस्य;
- (घ) कार्यभारी मंत्री, परिवहन, पदेन सदस्य;
- (ङ) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य, पदेन सदस्य;
- (च) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आने वाले विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान मण्डल के सदस्य, पदेन सदस्य;
- (छ) नगर निगम, गुरुग्राम का मेयर, पदेन सदस्य;
- (ज) नगर निगम, गुरुग्राम का वरिष्ठ उप मेयर, पदेन सदस्य;

- (झ) अध्यक्ष, जिला परिषद्, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;
- (ञ) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, जैसी भी स्थिति हो, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, पदेन सदस्य;
- (ट) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, जैसी भी स्थिति हो, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पदेन सदस्य;
- (ठ) छह से अनधिक राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जो प्रधान सचिव की पदवी से नीचे के न हों, जो राज्य सरकार, समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करे, पदेन सदस्य;
- (ड) नगरीय अवसंरचना, सुशासन, लोक प्रशासन, वित्त, प्रबंधन, नगरीय वानिकी, पर्यावरण, इंजीनियरी, नगर योजना इत्यादि के क्षेत्र से छह से अनधिक ऐसे विशेषज्ञ, जो राज्य सरकार, समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करे, सदस्य;
- (ढ) मण्डल आयुक्त, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;
- (ण) आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;
- (त) पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;
- (थ) उपायुक्त, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;
- (द) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य-सचिव।

6. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्य, प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते, जो विहित किए जाएं, प्राप्त करेंगे।

सदस्यों के भत्ते, अवसान तथा त्यागपत्र।

(2) जहां कोई व्यक्ति पदाभिधान या पदवी धारण करने से प्राधिकरण का सदस्य हो जाता है या के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, जैसे ही वह ऐसे पद या पदवी, जैसी भी स्थिति हो, को धारण करने से प्रवर्तित हो जाता है, प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य, किसी भी समय, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए अपना पद त्याग सकता है।

7. (1) प्राधिकरण ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर बैठक करेगा और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन बैठकों के संचालन और कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के ऐसे नियमों की अनुपालना करेगा, जो विहित किए जाएं।

प्राधिकरण की बैठक।

(2) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में, अध्यक्ष, यदि उपस्थित है या उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों में से कोई एक सदस्य जैसा अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करे, अध्यक्षता करेगा।

(3) बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों की समानता की दशा में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण की बैठकों के अभिलेख, ऐसी रीति, जो विहित की जाएं, में रखेगा।

8. (1) प्राधिकरण अपने सदस्यों में से गठित कार्यकारी समिति को उपधारा (2) में वर्णित शक्तियों से भिन्न अपनी किन्हीं शक्तियों को जैसा अध्यक्ष निर्णय करे, प्रत्यायोजित कर सकता है और कार्यकारी समिति के सभी निर्णयों का वही प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा लिए गए हों:

कार्यकारी समिति को प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

परन्तु कार्यकारी समिति में धारा 5 के खण्ड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के कम से कम तीन सदस्य शामिल होंगे।

(2) प्राधिकरण कार्यकारी समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं करेगा, अर्थात् :-

- (क) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन अवसंरचना विकास योजना का अनुमोदन करना ;
- (ख) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन गतिशील प्रबन्धन योजना का अनुमोदन करना;
- (ग) धारा 23 के अधीन नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना का अनुमोदन करना ;
- (घ) धारा 38 के अधीन प्राधिकरण के बजट का अनुमोदन करना ;
- (ङ) धारा 57 के अधीन कोई विनियम बनाना, संशोधन करना या निरसन करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, निबंधन तथा शर्तें इत्यादि।

9. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी, जो प्रधान सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकरण की निधि में से ऐसा मासिक वेतन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित ऐसे मासिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं।

(3) जब कभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाश पर है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार जब तक वह वापिस नहीं आता किसी दूसरे अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसके स्थान पर नियुक्त कर सकती है।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

10. (1) प्राधिकरण, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्दों को ऐसी रीति में और ऐसी अर्हताओं सहित, जो विहित की जाएं, नियुक्त कर सकता है।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्दों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसे अन्य कर्मचारिवृन्द, जो वह इसके कृत्यों की दक्ष अनुपालना के लिए आवश्यक समझे, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, नियुक्त कर सकता है।

निवासी सलाहकार परिषद्।

11. (1) प्राधिकरण को सलाह देने के लिए और इसकी शक्तियों के प्रयोग और इसके कृत्यों के अनुपालन पर मार्गदर्शन देने के लिए निवासी सलाहकार परिषद् होगी।

(2) निवासी सलाहकार परिषद्, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;

(ख) पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;

(ग) उपायुक्त, गुरुग्राम, पदेन सदस्य;

(घ) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक या मुख्य प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला कोई अधिकारी जो प्रशासक की पदवी से नीचे का न हो, पदेन सदस्य;

(ङ) चार से अनधिक, प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समय-समय पर, नामनिर्दिष्ट करे, पदेन सदस्य;

(च) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूप से स्वामित्वाधीन और अधिसूचित क्षेत्र में अपना मुख्यालय रखने वाले किसी बोर्ड या कम्पनी या किसी अभिकरण के तीन से अनधिक ऐसे अधिकारी जिन्हें कार्य समिति, समय-समय पर, नामनिर्दिष्ट करें, पदेन सदस्य;

(छ) प्राधिकरण या कार्यकारी समिति द्वारा निवासी कल्याण संघ, सिविल सोसाइटी, श्रम, उद्योग, भू-सम्पदा विकासक, वाणिज्य और सेवाओं में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अधिसूचित क्षेत्र में निवासी होते हुए कम से कम दस और अधिक से अधिक पन्द्रह ऐसे व्यक्ति, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाएं, सदस्य।

(3) निवासी सलाहकार परिषद् अवसंरचना विकास, गतिशील प्रबन्धन योजना के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना और नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना के कार्यान्वयन को मानीटर करेगी और ऐसी सिफारिश करेगी, जो वह निर्णय करे।

(4) निवासी सलाहकार परिषद् की सिफारिशों के साथ-साथ उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राधिकरण के समक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(5) निवासी सलाहकार परिषद् की बैठकों के संचालन और कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निवासी सलाहकार परिषद् के सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं।

12. (1) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यक्ष, प्राधिकरण के कार्यकलापों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा।

प्राधिकरण के कार्यकलापों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबन्धन।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश द्वारा, अपनी किन्हीं शक्तियों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अवधारित की जाएं, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है :

परन्तु प्रत्यायोजन का प्रत्येक ऐसा आदेश और ऐसे प्रत्यायोजन के निबंधन और शर्तें प्राधिकरण के सम्मुख रखी जाएंगी।

13. प्राधिकरण या निवासी सलाहकार परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की बैठकों में विचारण के लिए आने वाले किसी मामले में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या अन्यथा रखने वाला प्राधिकरण का कोई सदस्य या निवासी सलाहकार परिषद् का कोई सदस्य ऐसी बैठक में अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उस मामले के सम्बन्ध में प्राधिकरण या निवासी सलाहकार परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के किसी विचार-विमर्श या निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा।

हित के विरोध का बचाव।

14. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऐसे अधिकारी, जो प्राधिकरण अवधारित करे और निवासी सलाहकार परिषद् के सदस्य नियुक्ति के यथाशीघ्र बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप और रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके हित की सीमा पर अधिसूचित क्षेत्र में किसी पारिवारिक सदस्य की किसी सम्पत्ति, कारबार या नियोजन या प्राधिकरण के कार्यकलापों से सम्बद्ध या सम्बन्धित किसी मामले में चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो और चाहे धन सम्बन्धी हो या अन्यथा हो की घोषणा करेगा और इस प्रकार की गई घोषणा को प्राधिकरण की वेबसाइट पर डालेगा।

सूचना का प्रकटीकरण।

15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन निदेशक को प्रदत्त की गई हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली निदेशक की शक्तियां।

16. (1) प्राधिकरण की शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :-

प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य।

- (क) अधिसूचित क्षेत्र में अवसंरचना विकास और नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की व्यवस्था के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजनाएं, परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करना, स्वीकृत करना, कार्यान्वित करना ;
- (ख) प्राधिकरण के नियंत्रण और प्रबन्धन में या के अधीन सभी अवसंरचना विकास कार्य, नगरीय सुख-सुविधाओं तथा निहित सम्पत्तियों का रख-रखाव करना या रख-रखाव करवाना ;
- (ग) अधिसूचित क्षेत्र में समन्वित और एकीकृत अवसंरचना विकास और नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन के लिए परियोजनाएं, स्कीमें या उपाय कार्यान्वित करना, जो प्राधिकरण की सहमति से इसको केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या कम्पनी या किसी अन्य अभिकरण द्वारा सौंपे जाएं ;
- (घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरणों के साथ एकीकृत नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन के प्रयोजनों के लिए समन्वय करना ;
- (ङ) अधिसूचित क्षेत्र में गतिशील प्रबन्धन योजना के विनियमन का समन्वय करना;
- (च) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर सामूहिक यातायात या एकीकृत बहु-मॉडल यातायात सहित सार्वजनिक यातायात की स्थापना, विकास और प्रचालन में संयुक्त उद्यम कम्पनियों या सीमित दायित्व भागीदारी बनाने के माध्यम से संचालित करना या सहयोग करना ;

- (छ) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर प्लानिंग, पुनः विकास और क्षेत्रों के नवीकरण के माध्यम से नगरीय पुनरूद्धार और नवीनीकरण को बढ़ावा देना ;
- (ज) अधिसूचित क्षेत्र में जहां तक वे अवसंरचना विकास से सम्बन्धित हैं, में आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना और आपदाओं को रोकने और इनके प्रभावों को कम करने के लिए ऐसे उपाय करना ;
- (झ) अधिसूचित क्षेत्र के लिए आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के अनुसार काम करने वाला सार्वजनिक सुरक्षा बिन्दु स्थापित करना, प्रचालित करना और अनुरक्षित करना ;
- (ञ) पूर्वगामी खण्डों में यथावर्णित प्रयोजनों के लिए सर्वे करना ;
- (ट) अधिसूचित क्षेत्र में समन्वित और एकीकृत अवसंरचना विकास, नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था के लिए किसी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना या सिफारिश करना ;
- (ठ) समुचित विधि जिस द्वारा वे स्थापित की गई हैं, के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उन्हें समर्थित बनाने हेतु क्षमता निर्माण के माध्यम से उनकी सहायता करना ;
- (ड) नगरीय प्लानिंग, नगरीय पुनरूद्धार और नवीनीकरण, समन्वित और एकीकृत अवसंरचना विकास पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना या करवाना और नगरीय सुख-सुविधाओं गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था करना या करवाना ;
- (ढ) ऐसे अन्य कृत्य करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इसके उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मा लेने हेतु प्राधिकरण से अपेक्षा करे।
- (2) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कृत्य का पालन करते हुए या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए,—
- (क) राज्य सरकार को, तत्समय लागू किसी विधि के अनुसार, प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करने हेतु सिफारिश कर सकता है ;
- (ख) ऐसी रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में भूमि का क्रय, विनिमय, अंतरण, धारण, पट्टा, प्रबन्ध और निपटान ;
- (ग) अवसंरचना विकास और नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए ऐसी रीति में भूमि की लागत के बारे में भुगतान के बदले में जारी किए गए अंतरणीय विकास अधिकारों के लिए विनिमय में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भूमि अर्जित कर सकता है और ऐसे विनिमय के लिए मूल्य जो प्राधिकरण इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पॉलिसी के अनुसार निर्धारित करे ;
- (घ) भूमि से अन्यथा चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, पट्टा, धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटान कर सकता है ;
- (ङ) अधिसूचित क्षेत्र में प्लानिंग प्रयोजनों के लिए तथा भूमि, अवसंरचना, नगरीय सुख-सुविधाओं और नगरीय पर्यावरण के लिए आधुनिक भू-स्थानिक आधारित प्रणाली स्थापित कर सकता है ;
- (च) किसी व्यक्ति, बोर्ड, कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य अभिकरण के साथ सविदा या करार कर सकता है ;
- (छ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे निबन्धन तथा शर्त, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, पर संयुक्त उद्यम कम्पनियों और बोर्डों, कम्पनियों या अन्य अभिकरणों के साथ सीमित दायित्व भागीदारी बना सकता है ;
- (ज) साईकलिंग ट्रैक, खुले स्थान, पैदल फुटपाथ या प्राधिकरण के नियन्त्रण और प्रबन्धन में या के अधीन निहित सम्पत्तियों सहित सड़कों पर कोई बाधा या अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारिता रखने वाले समुचित स्थानीय प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है।

- (झ) प्राधिकरण की सहायता से शीघ्र यथासाध्य कार्रवाई करने के लिए पुलिस से अपेक्षा कर सकता है ;
- (ज) सभी ऐसे अन्य कार्य और बातें करना जो किसी मामले के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या सहायक हो, जो शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के कारण उत्पन्न हो और जो उद्देश्यों जिनके लिए प्राधिकरण स्थापित किया गया है के बढ़ावे के लिए आवश्यक हों।

17. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से चार मास की अवधि के भीतर और उसके बाद ऐसे अंतरालों, जो विहित किए जाएं, पर ऐसे परामर्श जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने के बाद अधिसूचित क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास योजना तैयार करेगा :

अवसंरचना विकास योजना।

परन्तु ऐसी अवसंरचना विकास योजना पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन प्रकाशित अन्तिम योजना के अनुरूप होगी।

(2) अवसंरचना विकास योजना—

- (क) अधिसूचित क्षेत्र या उसके भाग में रहनेयोग्य उचित मानक बनाए रखने के लिए अपेक्षित सड़कें, जल आपूर्ति, मल व्ययन, बाढ़ जल निकास नाली, बिजली, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक यातायात, पार्किंग और अन्य नगरीय सुविधाओं सहित तक सीमित नहीं, किन्तु अवसंरचना विकास कार्य और नगरीय सुख—सुविधाओं का वर्णन और विवरण होगा :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात स्थानीय प्राधिकरण के नियन्त्रण और प्रबन्धन के अधीन किसी आंतरिक विकास कार्य या किसी स्वामी द्वारा किए गए या किए जाने के लिए आशयित आंतरिक विकास कार्य को लागू नहीं होगी, जिसे हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है :

परन्तु यह और कि निवासियों के रहने योग्य उचित मानक के माप हेतु पैरामीटर ऐसे होंगे, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किए जाएं।

- (ख) किसी राज्य विधि द्वारा या के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन उपलब्ध करवाई गई बिजली, दूरसंचार, प्राकृतिक गैस पाइप सहित तक सीमित नहीं किन्तु प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबन्धन में या के अधीन किसी सड़क या सार्वजनिक गली या निहित सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, साथ—साथ, आर—पार या पर अवसंरचना विकास कार्यों के लिए आवश्यक मार्ग का अधिकार विनिर्दिष्ट होगा :

परन्तु आवश्यक रास्ते का अधिकार सड़क और उस पर लगी हुई सम्बन्धित अवसंरचना के बार—बार होने वाले नुकसान को रोकने के लिए व्यवस्था करेगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवसंरचना विकास योजना प्राधिकरण की वैबसाइट पर उस पर आक्षेपों या सुझावों को आमन्त्रित करने के प्रयोजन के लिए प्रकाशित करवाएगा।

(4) धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निवासी सलाहकार परिषद् के सदस्य सहित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन योजना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में अपने आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, ऐसी योजना के सम्बन्ध में भेज सकता है और वह उपर्युक्त तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों के साथ अवसंरचना विकास योजना प्रस्तुत करेगा।

(5) आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, और उस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ऐसे उपांतरण, जो वह ठीक समझे, के अध्याधीन अन्तिम अवसंरचना विकास योजना तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण की वैबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

18. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रकाशित अवसंरचना विकास योजना और संसाधनों की उपलब्धता के निर्धारण पर आधारित, अवसंरचना विकास और आगामी वित्तीय वर्ष में नगरीय सुख—सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना तैयार करेगा।

वार्षिक अवसंरचना विकास योजना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख—सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना में आगामी वित्त वर्ष में प्रस्तावित अवसंरचना विकास कार्यों या नगरीय सुख—सुविधाओं के लिए इनके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों के अनुमान तथा निधिकरण के स्रोत सहित स्कीमें या परियोजनाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन अवसंरचना विकास के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना में अवसंरचना विकास कार्यों तथा नगरीय सुख-सुविधाओं का विवरण शामिल होगा—

- (क) चालू वित्त वर्ष की कार्यवाही की वार्षिक योजना जो प्रारम्भ नहीं हुई है, में उसके कारणों सहित;
- (ख) कि जो या तो चालू वित्त वर्ष में या चालू वित्त वर्ष के पूर्ववर्ती चालू वित्त वर्ष में प्रारम्भ हो गई थी, किन्तु पूरी नहीं हुई है, उसके कारणों सहित;
- (ग) कि चालू वित्त वर्ष में पूरी हो गई है या पूरी की जानी संभावित है।

(4) अवसंरचना विकास के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना में अधिसूचित क्षेत्र में किसी व्यक्ति, बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरण द्वारा अवसंरचना विकास तथा प्रस्तावित नगरीय सुख-सुविधाओं की व्यवस्था कार्यान्वयनाधीन प्रयोजन के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारण शामिल होगा।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकरण को वित्त वर्ष के अंत से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(6) प्राधिकरण, आगामी वित्त वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व और अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख-सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना पर विचार करने के बाद योजना को, ऐसे संशोधनों या उपांतरणों, यदि कोई हों, जो यह ठीक समझे, अनुमोदित करेगा :

परन्तु ऐसी कार्यवाही की वार्षिक योजना में कोई संशोधन या उपांतरण, केवल इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों के अनुमान के निर्धारण तथा इसके निधिकरण के स्रोत के बाद किया जाएगा।

(7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे संशोधनों या उपांतरणों जो प्राधिकरण निदेश करे सहित, अवसंरचना विकास तथा नगरीय सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्यवाही की वार्षिक योजना, ऐसी योजना के अनुमोदन पर यथासाध्य शीघ्रता से प्राधिकरण की वेब साईट पर प्रकाशित करवायेगा।

अवसंरचना विकास योजना के अनुसार किया जाने वाला अवसंरचना विकास।

19. (1) तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बोर्ड, कम्पनी, अभिकरण या व्यक्ति अवसंरचना विकास योजना के अनुसार के सिवाय, अधिसूचित क्षेत्र के भीतर, ऐसे स्वरूप का कोई अवसंरचना विकास, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकारी को सौंपा गया है, नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवसंरचना विकास का जिम्मा लेने का इच्छुक कोई बोर्ड, कम्पनी, अभिकरण या व्यक्ति लिखित में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अवसंरचना विकास के लिए इसका प्रस्ताव, ऐसे रूप तथा ऐसी रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में इस प्रभाव के प्रमाण-पत्र सहित कि प्रस्ताव अवसंरचना विकास योजना के अनुसार है, सूचित करेगा :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण या कोई स्वामी, जिसे हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, प्राधिकारी को आंतरिक विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण को आंतरिक विकास कार्य से भिन्न किसी अवसंरचना विकास कार्य को करने के अपने आशय के बारे सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना, सिवाय जब यह आपातिक स्वरूप की है, ऐसे अवसंरचना विकास कार्य के प्रारम्भ से कम से कम तीस दिन पूर्व दी जाएगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव की प्राप्ति पर तुरन्त किन्तु तीन कार्य दिवसों से अपश्चात् प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों सहित प्रस्ताव को, प्राधिकरण की वेब साईट पर डलवाएगा।

(4) अधिसूचित क्षेत्र का कोई निवासी, उपधारा (3) के अधीन तिथि जिसको प्रस्ताव प्राधिकरण की वेब साईट पर डाला गया था, से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्ताव पर अपने आक्षेपों या सुझावों को प्रस्तुत करेगा।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन तिथि जिसको प्रस्ताव प्राधिकरण की वेब साईट पर डाला गया था, से साठ दिन की अवधि के भीतर तथा आक्षेपों तथा सुझावों की जांच करने के बाद तथा ऐसी जांच-पड़ताल जो वह आवश्यक समझे करने के बाद, या तो प्रस्ताव पर अपनी सहमति देगा या अपनी सिफारिशें उसके कारणों सहित, उपधारा (2) के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बोर्ड, कम्पनी, अभिकरण अथवा व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट सहमति या सिफारिशें इनके कारणों सहित प्राधिकरण की वैब साईट पर डाली जायेंगी ।

(7) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपधारा (5) के अधीन, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय निष्कर्ष पर आता है कि प्रस्ताव का सारवान तथा व्यापक प्रभाव है तथा जनहित को प्रभावित करता है, वह प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होगा ।

(8) प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन ऐसे निर्देश देगा, जो वह ठीक समझे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा ।

20. (1) प्राधिकरण, प्राधिकरण में निहित या के नियंत्रण या प्रबन्धन के अधीन किसी सड़क या सार्वजनिक गली या किसी सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार या पर अवसंरचना विकास कार्य करने के लिए आवश्यक मार्ग-अधिकार विनिर्दिष्ट करेगा :

परन्तु ऐसा आवश्यक मार्ग-अधिकार निम्नलिखित के उपबंधों से संगत होगा-

- (i) दूरसंचार अवसंरचना के सम्बन्ध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) या इसके अधीन बनाए गए नियमों ;
- (ii) विद्युत अवसंरचना के सम्बन्ध में, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) या इसके अधीन बनाए गए नियमों ;
- (iii) भूमिगत रेल अवसंरचना के सम्बन्ध में, भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय अधिनियम 33) या इसके अधीन बनाए गए नियमों ;
- (iv) पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पाईपलाइन के सम्बन्ध में, पैट्रोलियम तथा खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 50) या इसके अधीन बनाए गए नियमों ।

(2) प्राधिकरण, इसमें निहित या इसके नियन्त्रण या प्रबन्धन के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में,

- (i) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण तथा भूमिगत तार अवसंरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के लिए भारतीय तार मार्ग-अधिकार नियम, 2016 के अधीन समुचित प्राधिकरण की ;
- (ii) विद्युत अवसंरचना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36), की धारा 67 तथा 68 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरण अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आवश्यक मार्ग-अधिकार के अनुसार के सिवाय कोई अवसंरचना विकास कार्य नहीं करेगा ।

(4) जहां अवसंरचना विकास कार्य प्राधिकरण में निहित या के नियंत्रण या प्रबन्धन के अधीन किसी सड़क या सार्वजनिक गली या किसी सम्पत्ति के अधीन उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे अवसंरचना विकास कार्य के प्रबन्धक से ऐसे अवसंरचना विकास कार्य की अवस्थिति पर सही समय सूचना प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण को समर्थ बनाने हेतु समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थितिपरक समाचार के उपबंध सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षा करेगा ।

(5) प्राधिकरण या तो स्वयं या किसी अवसंरचना विकास कार्य के एक या अधिक प्रबन्धकों के माध्यम से, सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं, जो किसी सड़क या सार्वजनिक गली के अधीन की जानी सम्भाव्य है, के लिए सांझी अवसंरचना का निर्माण कर सकता है तथा ऐसी सांझी अवसंरचना के निर्माण पर, किसी सड़क या सार्वजनिक गली पर किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी अवसंरचना विकास कार्यों के सभी प्रबन्धकों से ऐसी सांझी अवसंरचना के उपयोग हेतु अपेक्षा करेगा :

परन्तु सांझी अवसंरचना का स्वरूप, इसके निर्माण के निबन्धन तथा शर्तें और सांझा उपयोग ऐसा होगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

(6) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय है कि प्राधिकारी में निहित या के नियंत्रणाधीन या प्रबन्धानधीन किसी सड़क या सार्वजनिक गली या सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, साथ-साथ, आर-पार या पर किए गए किसी अवसंरचना विकास कार्य की बदली द्वारा लोक हित में काम करना है, तो वह ऐसे अवसंरचना विकास कार्य के स्वामी को इस प्रकार उपलब्ध करवाई गई अवसंरचना, ऐसे समय के भीतर, जो वह युक्तियुक्त रूप में अवधारित करे, को बदलने या रूपांतरित करने के निदेश दे सकता है :

अवसंरचना विकास कार्यों के लिए मार्ग-अधिकार संबंधी विशेष उपबन्ध ।

परन्तु यदि प्राधिकरण या इसके हितबद्ध पूर्वाधिकारी को अवसंरचना विकास कार्य को करने के समय मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, तो ऐसी अवसंरचना को बदलना या रूपांतरित करना, ऐसी अवसंरचना के स्वामी द्वारा उनकी लागत पर किया जाएगा, जब तक प्राधिकारी के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में छूट न दी गई हो :

परन्तु यह और कि जहां अवसंरचना विकास कार्य का बदलना या रूपांतरण दूसरे अवसंरचना विकास कार्य के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित है, तब बदली या रूपांतरण, जिसमें उसके ऐसी बदली या रूपांतरण की लागत शामिल है, यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस प्रकार निदेश करे, अन्य अवसंरचना विकास कार्य के स्वामी द्वारा, किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अवसंरचना विकास कार्य का स्वामी, ऐसी अवसंरचना विकास कार्य की बदली या रूपांतरण के लिए समय में विस्तार के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उसके कारणों सहित अनुरोध करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोक हित में तथा समय में विस्तार के लिए उसमें दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए विस्तार की अनुमति दे सकता है या को इन्कार कर सकता है।

व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "मुआवजा" शब्द में भूमि की क्षति के पुनः स्थापन या पुनरुद्धार पर किए गए या उपगत भुगतान शामिल नहीं होंगे।

गतिशील प्रबन्धन योजना।

21. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम, नगर निगम आयुक्त, गुरुग्राम, उपायुक्त, गुरुग्राम के परामर्श से तथा ऐसे अन्य परामर्शों के बाद, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठीक समझे, अधिसूचित क्षेत्र में गतिशील प्रबन्धन करने के लिए समय-समय पर, गतिशील प्रबन्धन योजना तैयार करेगा।

(2) गतिशील प्रबन्धन योजना में शामिल होगा—

- (क) अवसंरचना विकास जिसमें सड़क जंक्शनों, सड़कों के सन्निर्माण, पुलों, पैदल चलने के फुटपाथों, सब-वे तथा ऐसे अन्य सन्निर्माण या सुधार, जैसी भी स्थिति हो, शामिल हैं, के लिए उपाय ;
- (ख) सार्वजनिक सड़कों पर जीवन सुरक्षा को बढ़ाने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लक्षित अवसंरचना विकास के लिए उपाय ;
- (ग) सार्वजनिक यातायात, सामूहिक यातायात, एकीकृत मल्टीमॉडल यातायात, बस शैल्टर, पार्किंग तथा उनके सुधार के संबंध में उपाय ;
- (घ) पार्किंग, ट्रेफिक, ट्रेफिक सिगनलों की संस्थापना तथा वाहनों के पारगमन इसमें इनकी गति, रूप, सन्निर्माण, भार, आकार या ऐसी भारी या भारी भरकम वस्तुओं के साथ भाराक्रांत जिन से क्षति होने की सम्भावना है, शामिल हैं, को विनियमित करने के लिए उपाय;
- (ङ) किसी उच्च गति गाड़ियों के आवागमन वाली किसी विशिष्ट सार्वजनिक गली से परिसरों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए उपाय ;
- (च) ऐसे अन्य उपाय, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम तथा नगर निगम आयुक्त, गुरुग्राम की राय में, अधिसूचित क्षेत्र में गतिशील प्रबन्धन के लिए अपेक्षित हों।

(3) गतिशील प्रबन्धन योजना, निवासी सलाहकार परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी तथा यह ऐसी सिफारिशें, यदि कोई हों, जो यह निर्णय करे, करेगी।

(4) गतिशील प्रबन्धन योजना, निवासी सलाहकार परिषद् की सिफारिशों, यदि कोई हों, सहित प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी तथा प्राधिकरण ऐसे संशोधनों या उपांतरणों, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, सहित योजना का अनुमोदन करेगा।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गतिशील प्रबन्धन योजना को ऐसे संशोधनों या उपांतरणों सहित जैसा प्राधिकरण निदेश करे, योजना के अनुमोदन पर प्राधिकरण की वैबसाइट पर प्रकाशित करवाएगा।

(6) पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम, नगर निगम आयुक्त, गुरुग्राम, या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे प्रयोजन के लिए विधि के अधीन सशक्त किया जाए, तत्समय लागू ऐसी विधि के उल्लंघन के लिए किसी शास्ति के अधिरोपण की अपेक्षा करते हुए उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ङ) के सम्बन्ध में उपायों के बाध्यकरण के लिए जिम्मेवार होगा।

(7) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 221 के अधीन नगर निगम आयुक्त, गुरुग्राम द्वारा शक्तियों का प्रयोग गतिशील प्रबन्धन योजना के अनुसार किया जाएगा।

22. राज्य सरकार, लोक हित में तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59), की धारा 99 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित स्कीम के संबंध में प्रस्ताव के अनुसार तथा अधिसूचित क्षेत्र के भीतर दक्ष, पर्याप्त, आर्थिक दृष्टि से तथा उचित रीति से समन्वित सड़क परिवहन सेवा, उपलब्ध करवाने के लिए सिटी बस सेवा के परिचालन हेतु प्राधिकरण को अनुमत करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित करेगी।

सिटी बस सेवा के प्रचालन के संबंध में विशेष उपबन्ध।

23. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, उपायुक्त, गुरुग्राम, नगर निगम आयुक्त, गुरुग्राम तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठीक समझे, के परामर्श से, समय-समय पर, अधिसूचित क्षेत्र के नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना तैयार करेगा।

स्थायी पर्यावरण प्रबन्धन के लिए योजना।

(2) नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना में निम्नलिखित शामिल होगा—

- (i) नगरीय वानिकी, वृक्षारोपण तथा उद्यान के लिए उपबंध ताकि हरित स्थानों के लिए ऐसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा सकें, जैसा प्राधिकरण अवधारित करे;
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा जल संरक्षण के लिए उपाय जो आवश्यक तथा वांछनीय हो।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना को उस पर आक्षेपों या सुझावों को आमन्त्रित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की वैबसाइट पर प्रकाशित करवायेगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसमें धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निवासी सलाहकार परिषद् का सदस्य शामिल है, उपधारा (3) के अधीन योजना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसी योजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप तथा सुझाव, यदि कोई हों, भेजता है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपर्युक्त तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर, प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों सहित नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना प्रस्तुत करेगा।

(5) प्राधिकरण, आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, तथा उस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, ऐसे उपांतरणों, जो वह ठीक समझे, के अध्यक्षीन नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए अंतिम योजना का निर्णय करेगा तथा उसे प्राधिकरण की वैबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(6) नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना, समय-समय पर, जैसा अपेक्षित हो, जहां तक इसके उपांतरण का सम्बन्ध है उपधारा (3) से (5) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद उपांतरित की जा सकती है।

(7) स्थायी पर्यावरण प्रबन्धन के लिए योजना के अनुमोदन पर, नगर निगम, गुरुग्राम या हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, अधिसूचित क्षेत्र में लागू नगर निगम या हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, की भवन उपविधियों में जल संरक्षण, अपजल को दोबारा उपयोग में लाना, वर्षा जल एकत्र करना, छत के शीर्ष भाग पर सोलर ऊर्जा के उपबंध करना, जैसी भी स्थिति हो, सहित किन्तु असीमित ऐसे उपायों, जो यह भवनों के सन्निर्माण हेतु संबंधित हों, को शामिल करेगा।

24. जहां कोई अवसंरचना विकास कार्य उपलब्ध करवाया गया है या प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबन्धन के अधीन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण से, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी अवसंरचना विकास कार्य स्थित है, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जैसा प्राधिकरण तथा उक्त स्थानीय प्राधिकरण के बीच सहमति हो, पर ऐसे अवसंरचना विकास कार्य के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करेगा :

स्थानीय प्राधिकरण से रखरखाव हेतु उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति।

परन्तु जहां ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर सहमत नहीं हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी के परामर्श से, विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों पर, विवरणी तैयार करेगा तथा ऐसी विवरणी राज्य सरकार को निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और प्राधिकरण तथा स्थानीय प्राधिकरण पर बाध्य होगा।

25. प्राधिकरण, इसकी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु, अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या भवन का सर्वेक्षण करवा सकता है तथा उस प्रयोजन के लिए यह प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी या इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण, कम्पनी या अन्य अभिकरण द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मामलों हेतु विधिपूर्ण होगा—

प्राधिकरण की सर्वेक्षण करने की शक्ति।

(क) किसी भूमि में या पर प्रवेश करना तथा ऐसी भूमि का तलमापन करना;

- (ख) अवमृदा के भीतर खोदना या छेदन करना ;
- (ग) चिह्न लगाते हुए तथा खाइयां खोदकर तल तथा सीमाओं का सीमांकन करना;
- (घ) जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता या तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं चिह्नित नहीं की जा सकती वहां किसी अवरोधन को काटना या साफ करना ;
- (ङ) किसी अवसंरचना विकास कार्य, नगरीय सुख-सुविधा, नगरीय वानिकी या किसी प्रयोजन, जिसके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन जिम्मा लेने में सक्षम है, के आशयित सुयोजन का सीमांकन;
- (च) किसी अवसंरचना कार्य, नगरीय सुख-सुविधा, नगरीय वानिकी या किसी प्रयोजन, जिसके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन सक्षम है, से सम्बन्धित निर्माणाधीन संकर्मों का परीक्षण करना;
- (छ) सुनिश्चित करना कि क्या पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का 41), की धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन प्रकाशित अन्तिम विकास योजना के अनुसार किसी भूमि या सम्पत्ति का विकास किया जा रहा है या किया गया है, या निर्बन्धन तथा शर्तों जिनके अधीन पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के अधीन विकास अनुमत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो ;
- (ज) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी ऐसे कार्य करना :

परन्तु—

- (i) कोई भी प्रवेश 0600 तथा 1800 घण्टों के बीच के सिवाय नहीं किया जाएगा ;
- (ii) प्रवेश के आशय का नोटिस, तिथि, जिसको प्रवेश किया जाना प्रस्तावित है, से कम से कम एक दिन पूर्व दिया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अप्राधिकृत विकास, अवरोधन या अतिक्रमण को हटाने के निदेश देने की शक्ति।

26. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किसी अप्राधिकृत विकास या सड़कों पर अवरोधन तथा अतिक्रमण, जिसमें साईकलिंग ट्रैक, खुले स्थान, पैदल फुटपाथ या प्राधिकरण में निहित या के नियन्त्रण और प्रबन्धन के अधीन सम्पत्तियां भी शामिल हैं, को हटाने के लिए अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे रूप में, जो विहित किया जाए, निदेश देने की शक्ति होगी :

परन्तु जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी की राय है कि अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकरण ऐसे अप्राधिकृत विकास, अवरोधन या अतिक्रमण को हटाने में असमर्थ है या असमर्थ हो सकता है, तो वह ऐसे अप्राधिकृत विकास, अवरोधन या अतिक्रमण को हटाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में निदेश करेगा।

सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की उन्नति के लिए उपाय।

27. (1) प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए ऐसे उपाय, जो वह आवश्यक समझे, करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण किफायती अस्पतालों, खेलकूद सुविधाओं, सांस्कृतिक केन्द्रों, नवीन ज्ञान के क्षेत्रों के अनुसंधान में लगे हुए या लगने के लिए प्रस्तावित अनुसंधान संस्थाओं, नवीन ज्ञान के क्षेत्रों में स्टार्ट अप कम्पनियां, कौशल विकास केन्द्रों तथा ऐसे अन्य संस्थाओं, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाएं, की स्थापना को प्रोन्नत करेगा, सहयोग देगा तथा सुकर बनाएगा।

व्याख्या.— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "नवीन ज्ञान क्षेत्रों" से अभिप्राय होगा, ज्ञान के ऐसे क्षेत्र, नवाचार या उद्यम जिसे प्राधिकरण, समय-समय पर, अवधारित करे और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

(3) प्राधिकरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की अनुसूची VII के अधीन वर्णित कार्यकलापों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अधीन सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी के अनुसरण में खर्च की जाने के लिए अपेक्षित राशियों को अधिसूचित क्षेत्र में प्राप्त तथा उपयोग करने हेतु प्राधिकरण की सहायता से अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले और भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबन्धों के अधीन लोक न्यास की स्थापना को समर्थ बनाएगा।

(4) प्राधिकरण, ऐसे उपायों द्वारा तथा ऐसे समन्वयता सुनिश्चित करते हुए, जो प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जो प्राधिकरण, समय-समय पर, निर्णीत करे, कारबार करने की सुगमता को सुकर बनाएगा :

परन्तु राज्य सरकार, प्राधिकरण की सिफारिशों पर तथा अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी अधिकारी को, ऐसी शक्तियों तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो अधिसूचना में वर्णित की जाएं, जो राज्य सरकार या राज्य के अधीन बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, का प्रयोग करने के लिए सशक्त करेगा।

(5) प्राधिकरण संभार-तंत्र अवसंरचना सहित उद्योगों, सेवाओं या कारबार के लिए सामान्य सुविधाओं की स्थापना को स्थापित करेगा, प्रोन्नत करेगा या सुकर बनाएगा।

(6) उपधारा (2) के अधीन प्रोन्नति, सहयोग तथा सरलीकरण की मेकनिज्म ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

28. (1) ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण, जो प्राधिकरण किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए या किसी मामले, जो प्राधिकरण, समन्वयन समितियों और स्थायी समितियों को निर्दिष्ट करे, की मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग या मन्त्रणा के लिए अवधारित करे, ऐसे विचारणीय विषयों के लिए अनेक समन्वयन समितियों और अनेक स्थायी समितियों, जैसा यह उचित समझें, का गठन कर सकता है।

समन्वयन समितियां
और स्थायी
समितियां।

(2) समन्वयन समिति, केवल प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित किसी बोर्ड या कम्पनी के अधिकारियों से गठित होगी, किन्तु स्थायी समिति में अधिसूचित क्षेत्र के निवासी शामिल होंगे जो प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित किसी बोर्ड या कम्पनी के कर्मचारी नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या, इसकी कुल सदस्यता का एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(3) प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित किसी बोर्ड या कम्पनी के अधिकारियों से भिन्न, धारा (1) के अधीन गठित स्थायी समितियों के सदस्यों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने और उसके किसी अन्य कार्य के लिए ऐसी फीसों और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किए जाएं।

29. (1) ऐसी समन्वयन समिति या स्थायी समिति, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक में विचारण के लिए आने वाले किसी मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, चाहे धन संबंधी या अन्यथा हो, रखने वाला किसी समन्वयन समिति या स्थायी समिति का कोई सदस्य, ऐसी बैठक में अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उस मामले के संबंध में ऐसी समन्वयन समिति या स्थायी समिति, जैसी भी स्थिति हो, के किसी विचार-विमर्श और निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा।

हित के विरोध का
बचाव।

(2) किसी समन्वयन समिति या किसी स्थायी समिति का सदस्य, यथाशीघ्र नियुक्ति के बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अधिसूचित क्षेत्र में किसी सम्पत्ति, कारबार या परिवार के किसी सदस्य के नियोजन या प्राधिकरण के कार्यकलापों के मामले के संबंध में या से संबंधित उसके हित, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो की सीमा तक और चाहे धन संबंधी या अन्यथा हो, यथाशीघ्र ऐसे प्ररूप और रीति में घोषणा करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार की गई घोषणा प्राधिकरण की वैबसाइट पर डलवाएगा।

30. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसा अनुभव रखने वाले ऐसे विशेषज्ञों का, ऐसी फीस और पारिश्रमिक पर और ऐसी अवधि, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए नियोजन कर सकता है।

विशेषज्ञों को
नियोजित करने की
शक्ति।

31. प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी का अपना सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण द्वारा
पारदर्शिता इत्यादि
सुनिश्चित करना।

32. (1) प्राधिकरण अपनी स्वयं की निधि रखेगा और बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा होगा—

प्राधिकरण की
निधियां।

(क) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्राप्त या प्राप्त किए जाने के लिए देय और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के स्वामी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में बाह्य विकास संकर्मों के लिए भुगतानयोग्य आनुपातिक विकास प्रभारों के कारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय पर अव्ययित सभी धन राशियां ;

- (ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा संगृहीत और राज्य सरकार के पास जमा धन राशियों का ऐसा हिस्सा जो राज्य सरकार अवधारित करे ;
- (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या नगर निगम, गुरुग्राम से अनुदानों, ऋणों, अग्रिमों या अन्यथा के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन राशियां ;
- (घ) राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋणों या डिबेंचरों के रूप में प्राधिकरण द्वारा उधार ली गई सभी धन राशियां ;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसों, प्रभार या उद्ग्रहण;
- (च) सम्पत्ति, चल और अचल, के निपटान से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन राशियां ; तथा
- (छ) किराए और लाभों के रूप में या किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन राशियां ।
- (2) निधि निम्नलिखित खर्च पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी—
- (क) अधिसूचित क्षेत्र में अवसंरचना विकास, नगरीय सुख—सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था करने में ;
- (ख) अधिसूचित क्षेत्र में अवसंरचना विकास, नगरीय सुख—सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था करने के प्रयोजनों के लिए सृजित आस्तियों के परिचालन या अनुरक्षण में ;
- (ग) प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते ;
- (घ) अधिनियम के प्रशासन में ;
- (ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन हेतु ;
- (च) अधिसूचित क्षेत्र में अवसंरचना विकास, नगरीय सुख—सुविधाओं, गतिशील प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त उद्यम और परिसीमित दायित्व भागीदारी में ;
- (छ) अधिसूचित क्षेत्र में पुनर्विकास और नगरीय नवीनीकरण पर ;
- (ज) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में ऐसे प्रयोजनों हेतु, जो प्राधिकरण अनुमोदित करे या राज्य सरकार निदेश या अनुज्ञात करे ।

प्राधिकरण को वार्षिक अनुदान, ऋण और अग्रिम ।

33. राज्य सरकार, प्राधिकरण को प्रति वर्ष ऐसी धन राशियों का अनुदान, ऋण या अग्रिम दे सकती है, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे और इस प्रकार दिए गए सभी अनुदान, ऋण या अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे, जो राज्य सरकार अवधारित करे ।

प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति ।

34. प्राधिकरण, समय—समय पर, राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, सामान्य या विशेष, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, ऋणों, बन्ध—पत्रों या डिबेंचरों या अन्य लिखितों के रूप में धन उधार ले सकता है ।

प्राधिकरण की निवेश करने की शक्ति ।

35. (1) प्राधिकरण ऐसे निवेशों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, में इसकी निधियों के किसी भाग का निवेश कर सकता है ।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचित क्षेत्र में अवसंरचना विकास और नगरीय सुख—सुविधाओं, गतिशील प्रबंधन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनियों और सीमित दायित्व भागीदारी की स्थापना में निवेश कर सकता है ।

ऋणों के ब्याज और पुनर्भुगतान के लिए भुगतान को प्राथमिकता ।

36. ऋणों पर ब्याज या ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतानों को प्राधिकरण के सभी अन्य देयों पर प्राथमिकता दी जाएगी ।

37. प्राधिकरण में निहित सभी सम्पत्तियां, निधियां और अन्य आस्तियां, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उपबंधों के अधीन इस द्वारा धारण और प्रयुक्त की जाएंगी। निधियों का प्रयोग।

38. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और अदायगियों को दर्शाते हुए आगामी अनुवर्ती वित्त वर्ष के संबंध में बजट प्रस्तुत करेगा। बजट।

(2) प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत बजट, ऐसे उपान्तरणों और पुनरीक्षणों के अधीन, जैसा यह विनिश्चय करे, का अनुमोदन करेगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा यथा उपान्तरित और पुनरीक्षित बजट अधिप्रमाणित प्रतियों की ऐसी संख्या, जो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, सहित राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार, रिपोर्ट को राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप-धारा (3) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखे जाने के बाद प्राधिकरण द्वारा यथा उपान्तरित अथवा पुनरीक्षित बजट प्राधिकरण की वैबसाइट पर डलवाएगा।

39. (1) प्राधिकरण ऐसा प्ररूप, जो विहित किया जाए, में उचित लेखे और अन्य सुसंगत रिकार्ड बनाए रखेगा और तुलन-पत्र सहित लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा। लेखे और लेखापरीक्षा।

(2) प्राधिकरण के लेखे, महालेखाकार, हरियाणा से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा के अधीन होंगे और ऐसी लेखापरीक्षा से संबंधित उपगत कोई खर्च प्राधिकरण द्वारा महालेखाकार, हरियाणा को भुगतानयोग्य होगा।

(3) महालेखाकार, हरियाणा और प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में उन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में समान अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जैसे महालेखाकार, हरियाणा को सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टता, पुस्तकें, लेखों, सम्बन्धित वॉउचरों और अन्य दस्तावेजों और पेपरों को प्रस्तुत करने की मांग और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार, हरियाणा या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखों के साथ-साथ उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और इस प्रकार की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य सरकार को प्रति वर्ष भेजा जाएगा और राज्य सरकार उसकी प्रति राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपधारा (4) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद प्राधिकरण के लेखों के साथ-साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट और व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राधिकरण की वैबसाइट पर डलवाएगा।

40. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और ऐसी तिथि, जो विहित की जाए, को या से पूर्व भेजेगा और राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखवाएगी। वार्षिक रिपोर्ट।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अवसंरचना विकास, गतिशील प्रबन्धन और स्थायी पर्यावरण-सम्बन्धी प्रबन्धन पर कार्यवाही की वार्षिक योजना के लागूकरण की स्थिति पर व्याख्यात्मक ज्ञापन और लागूकरण में कमियां, यदि कोई हों, और ऐसी कमी के लिए कारण भी शामिल होंगे।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद प्राधिकरण की वैबसाइट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित रिपोर्ट डलवाएगा।

41. (1) प्राधिकरण, बाह्य विकास कार्यों और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के अधिसूचित क्षेत्र में प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के स्वामी द्वारा भुगतान किए गए या भुगतानयोग्य आनुपातिक विकास प्रभारों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा: प्राधिकरण द्वारा प्राप्य प्रभार और उगाही।

परन्तु ऐसे आनुपातिक विकास प्रभार उक्त अधिनियम के अधीन निदेशक द्वारा संगृहीत किए जाएंगे और प्राधिकरण को अन्तरित किए जाएंगे।

(2) प्राधिकरण, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (1क) के अधीन भुगतानयोग्य परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा।

(3) प्राधिकरण को नीचे विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखत पर और ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश करें, जो ऐसी लिखतों पर नीचे विनिर्दिष्ट राशि पर दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, हरियाणा राज्य में तत्समय लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति होगी :-

- (i) अचल सम्पत्ति का विक्रय— लिखत में विक्रय हेतु दर्शाए गए प्रतिफल की राशि या मूल्य ;
- (ii) अचल सम्पत्ति का आदान-प्रदान— सम्पत्ति का मूल्य या लिखत में दर्शाया अधिक मूल्य ;
- (iii) अचल सम्पत्ति का उपहार — लिखत में दर्शाई गई सम्पत्ति का मूल्य ;
- (iv) अचल सम्पत्ति का कब्जा सहित रेहन — लिखत में दर्शाई गई रेहनदार द्वारा प्राप्त राशि ;
- (v) अचल सम्पत्ति का शाश्वतिक पट्टा — विलेख में दर्शाई गई किराए की पूर्ण राशि या मूल्य, जो प्रथम पचास वर्षों में भुगतान या परिदत्त की जाएगी, के एक बटा छह के बराबर राशि :

परन्तु भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के समय पर उक्त शुल्क का संग्रहण किया जाएगा और प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचित क्षेत्र में शराब के विक्रय और उपभोग पर ऐसी दरों, जो अधिसूचित की जाएं, पर प्रभार लगा सकता है :

परन्तु ऐसा प्रभार पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा संगृहीत किया जाएगा और प्राधिकरण को अन्तरित किया जाएगा।

प्राधिकरण का सम्पत्ति पर उपकर प्राप्त करना।

42. (1) राज्य सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में सम्पत्ति, भूमियों और संनिर्माणों पर ऐसी दर, जो समय-समय पर अवधारित की जाए, पर उपकर लगा सकती है :

परन्तु विशेष रूप से अवसंरचना विकास योजना या नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लागूकरण के प्रयोजनों हेतु और अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा केवल ब्याज के भुगतान और उधार लिए गए ऋणों, बन्ध-पत्रों या डिबंचरों के पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए उपकर लगाएगी :

परन्तु यह और कि यदि प्रथम परन्तुक के अधीन अनुज्ञेय ऐसी धन राशियों के भुगतान के बाद शेष उपकर के कारण कोई अधिशेष रह जाता है, तो ऐसा अधिशेष, ऐसी रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में वापस किया जाएगा या समायोजित किया जाएगा।

(2) उपकर विभिन्न क्षेत्रों और सम्पत्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न दरों पर उद्गृहीत किया जा सकता है।

(3) उपकर, स्थानीय प्राधिकरण, जिसके क्षेत्र में सम्पत्तियां स्थित हैं, द्वारा संगृहीत किया जाएगा मानो उपकर ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को शासित करने वाली विधि के अधीन इसके द्वारा उद्गृहीत किए गए थे और पहले राज्य की संचित निधि में जमा करवाए जाएंगे।

(4) राज्य सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए विनियोग के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राज्य की संचित निधि में जमा उपकर के सम्पूर्ण आगमों को समय-समय पर प्राधिकरण को भुगतान करेगी।

उपभोक्ता प्रभारों को लगाने की शक्ति।

43. (1) प्राधिकरण, इसके प्राधिकार के अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी अवसंरचना विकास कार्य या अनुरक्षित नगरीय सुख-सुविधा पर किसी खर्च के पूर्णतः या भागतः वसूलियों के प्रयोजनों हेतु, ऐसी अवसंरचना विकास कार्य या नगरीय सुख-सुविधा के उपभोक्ताओं पर प्रभार लगा सकता है और संगृहीत कर सकता है।

(2) प्रत्येक अवसंरचना विकास कार्य या नगरीय सुख-सुविधा के लिए उपभोक्ता प्रभार ऐसा होगा जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए :

परन्तु प्राधिकरण, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपभोक्ता प्रभार को प्रकाशित करने की तिथि से कम से कम सात दिन की अवधि के बाद आने वाली तिथि से उपभोक्ता प्रभार संगृहीत करने के लिए पात्र होगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसी व्यक्ति, बोर्ड या किसी अन्य अभिकरण को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएं, पर उपभोक्ता प्रभार संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है अथवा सौंप सकता है।

44. बाह्य विकास प्रभारों या अन्य प्रभारों के कारण या भूमियों, संनिर्माणों या अन्य सम्पत्तियों, चल या अचल, या किराए और लाभों से प्राधिकरण को देय कोई धनराशि की वसूली निम्नानुसार की जा सकती है, अर्थात् :-

देय धनराशि की वसूली का ढंग।

- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस सम्बन्ध में उस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कलक्टर को भेजे गए देय राशि के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकायों के रूप में ; या
- (ii) किसी व्यक्ति, बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरण, जिसकी तरफ से प्राधिकरण को धन राशि देय है, के बैंक खाता के बैंक नियन्त्रक को देय धन राशि की सीमा तक ऐसे खाता के स्थिरीकरण हेतु निदेश करके :

परन्तु प्राधिकरण, वसूली के लिए खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट दो ढंगों में से कोई एक ढंग को प्रारम्भ या जारी करेगा :

परन्तु यह और कि जहां हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति वाले किसी व्यक्ति, बोर्ड या अन्य अभिकरण की तरफ बाह्य विकास प्रभारों के कारण धनराशि देय है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्कार के लिए अधिकारिता रखने वाले उप-रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 71 के अधीन उपनिवेश, जिसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, में अवस्थित किसी अचल सम्पत्ति के विक्रय, विनिमय, उपहार, रेहन या पट्टा के लिए किसी दस्तावेज को रजिस्टर करने के लिए लिखेगा :

परन्तु यह और कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, यदि खण्ड (ii) के अधीन वसूली प्रारम्भ की गई है, तो व्यक्ति, बोर्ड, कम्पनी या अन्य एजेंसी, जिसकी तरफ धन राशि देय है, को तिथि, जिसको बैंक को निर्देश दिया गया है, से तीन दिन के भीतर सुनवाई का अवसर उपलब्ध करवाएगा :

परन्तु यह और कि व्यतिक्रमी, तत्समय लागू किसी विधि के अधीन ऐसे व्यतिक्रम के लिए आपराधिक कार्रवाई सहित कार्रवाई के लिए दायी होगा।

45. (1) राज्य सरकार, मुख्य प्रशासक, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को इसमें, इसके बाद उपबन्धित रीति में, सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों के अन्तरण का प्रबन्ध करते हुए अन्तरण स्कीम प्रकाशित करेगी।

प्राधिकरण में हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति का अन्तरण।

(2) जहां मुख्य प्रशासक, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच मतभेद है, तो राज्य सरकार ऐसा निर्णय लेगी, जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय अन्तिम होगा और हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण पर बाध्य होगा।

(3) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण में निहित कोई सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार और दायित्व, जहां तक वे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं शक्तियों अथवा निर्वहन किए जाने वाले किन्हीं कृत्यों से सम्बन्धित हैं, तो ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, पर इस प्रकार प्रकाशित अन्तरण स्कीम के अनुसार प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा पुनः निहित किए जाएंगे।

(4) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां,—

(क) अन्तरण स्कीम में किसी व्यक्ति से किसी सम्पत्ति या अधिकारों का अन्तरण अथवा की वचनबद्धता हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्णतया स्वामित्वाधीन नहीं है, शामिल है, तो स्कीम, केवल हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले उचित मूल्य के लिए अन्तरण को प्रभाव देगी ;

(ख) किसी किस्म का संव्यवहार, अन्तरण स्कीम के अनुसरण में प्रभावित होता है, तो यह तृतीय पक्षकारों सहित सभी व्यक्तियों पर बाध्य होगा और यद्यपि ऐसे व्यक्तियों या तृतीय पक्षकारों ने इसकी सहमति नहीं दी हो।

- (5) इस धारा के अधीन अन्तरण स्कीम,—
- (क) अन्तरण की जाने वाली सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित कर सकती है—
- (i) प्रश्नगत सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को विनिर्दिष्ट या वर्णित करते हुए ; या
- (ii) अन्तरक की वचनबद्धता के वर्णित भाग में समाविष्ट सभी सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करते हुए ; या
- (iii) भागतः एकतरफा और भागतः अन्य ;
- (ख) उपबन्ध कर सकती है कि स्कीम में नियत या वर्णित किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या के विरुद्ध लागू होंगे ;
- (ग) अन्तरक पर किसी अन्य पश्चात्पूर्वी अन्तरिती से ऐसा लिखत करार या के पक्ष में ऐसी अन्य लिखत निष्पादित करने के लिए बाध्यता अधिरोपित कर सकती है, जो स्कीम में नियत की जाए ;
- (घ) अन्तरण के लिए भौतिक और डिजिटल रिकार्ड उपबन्धित कर सकती है ;
- (ङ) अन्तरिती के कृत्य और कर्तव्यों को वर्णित कर सकती है ;
- (च) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध कर सकती है, जो आदेश को प्रभाव देने की शर्त के उपबन्ध सहित अन्तरक समुचित समझे ; तथा
- (छ) उपबन्ध कर सकती है कि अन्तरण नियत अवधि के लिए अनन्तिम होगा।

(6) अन्तरण स्कीम के प्रभावी होने से पूर्व, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा, से या के लिए उपगत सभी ऋण और बाध्यताएं, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए सभी मामले और बातें, सुसंगत अन्तरण स्कीम में विनिर्दिष्ट सीमा तक, प्राधिकरण द्वारा उपगत, प्राधिकरण से की गई समझी जाएंगी और हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा या के विरुद्ध संस्थित किए गए सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, प्राधिकरण द्वारा या के विरुद्ध जारी या संस्थित रहेंगी।

(7) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण का प्रभार समाप्त हो जाएगा और प्रभावी तिथि को या के बाद किए गए अन्तरणों के संबंध में कृत्यों और कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

प्राधिकरण में
हरियाणा राज्य
औद्योगिक तथा
अवसंरचना विकास
निगम की सम्पत्ति
का अन्तरण।

46. (1) यथासाध्य शीघ्रता से और इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास की अवधि के भीतर, राज्य सरकार, प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिशों पर, और अधिसूचना द्वारा, इसमें, इसके बाद, उपबन्धित रीति में, प्राधिकरण को सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों के अन्तरण का उपबन्ध करते हुए अन्तरण स्कीम प्रकाशित करेगी।

(2) जहां प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच मतभेद है, तो राज्य सरकार ऐसा निर्णय करेगी, जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय अन्तिम होगा और हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और प्राधिकरण पर बाध्य होगा।

(3) हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम में निहित कोई सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार और दायित्व, जहां तक वे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोज्य किन्हीं शक्तियों अथवा निर्वहन किए जाने वाले किन्हीं कृत्यों से सम्बन्धित हैं, तो ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, पर इस प्रकार प्रकाशित अन्तरण स्कीम के अनुसार प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा पुनः निहित किए जाएंगे।

(4) इस धारा में, दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां,—

- (क) अन्तरण स्कीम में किसी व्यक्ति से किसी सम्पत्ति या अधिकारों का अन्तरण अथवा की वचनबद्धता हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा पूर्णतया स्वामित्वाधीन नहीं है, शामिल है, तो स्कीम, केवल हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले उचित मूल्य के लिए अन्तरण को प्रभाव देगी ;
- (ख) किसी किस्म का संव्यवहार, अन्तरण स्कीम के अनुसरण में प्रभावित होता है, तो यह तृतीय पक्षकारों सहित सभी व्यक्तियों पर बाध्य होगा और यद्यपि ऐसे व्यक्तियों या तृतीय पक्षकारों ने इसकी सहमति नहीं दी हो।

- (5) इस धारा के अधीन अन्तरण स्कीम,—
- (क) अन्तरण की जाने वाली सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित कर सकती है—
- (i) प्रश्नगत सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को विनिर्दिष्ट या वर्णित करते हुए ; या
- (ii) अन्तरक की वचनबद्धता में वर्णित भाग में समाविष्ट सभी सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करते हुए ;
या
- (iii) भागतः एकतरफा और भागतः अन्य ;
- (ख) उपबन्ध कर सकती है कि स्कीम में नियत या वर्णित किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या के विरुद्ध लागू होंगे ;
- (ग) अन्तरक पर किसी अन्य पश्चातवर्ती अन्तरिती से ऐसा लिखत करार या के पक्ष में ऐसी अन्य लिखत निष्पादित करने के लिए बाध्यता अधिरोपित कर सकती है, जो स्कीम में नियत की जाए ;
- (घ) अन्तरण के लिए भौतिक और डिजिटल रिकार्ड उपबन्धित कर सकती है ;
- (ङ) अन्तरिती के कृत्य और कर्तव्यों को वर्णित कर सकती है ;
- (च) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध कर सकती है, जो आदेश को प्रभाव देने की शर्त के उपबन्ध सहित अन्तरक समुचित समझे ; तथा
- (छ) उपबन्ध कर सकती है कि अन्तरण नियत अवधि के लिए अनन्तिम होगा।

(6) अन्तरण स्कीम के प्रभावी होने से पूर्व, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम द्वारा, से या के लिए उपगत सभी ऋण बाध्यताएं, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए सभी मामले और बातें, सुसंगत अन्तरण स्कीम में विनिर्दिष्ट सीमा तक, प्राधिकरण द्वारा उपगत, प्राधिकरण से की गई समझी जाएंगी और हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम द्वारा या के विरुद्ध संस्थित किए गए सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, प्राधिकरण द्वारा या के विरुद्ध जारी या संस्थित रहेंगी।

(7) हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम का प्रभार समाप्त हो जाएगा और प्रभावी तिथि को या के बाद, किए गए अन्तरणों के संबंध में कृत्यों और कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

47. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, उक्त अवधि में प्राधिकरण के निष्पादन के मूल्यांकन और पुनर्विलोकन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे सदस्यों, जो विहित किए जाएं, से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करेगी।

प्राधिकरण के निष्पादन का पुनर्विलोकन।

(2) समिति राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और नगरीय शासन, अवसंरचना विकास, पर्यावरण, प्रबंधन, लोक प्रशासन के क्षेत्रों में प्रतिष्ठा रखने वाले विशेषज्ञों को सम्मिलित करेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति प्राधिकरण के कार्यों का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करेगी और राज्य सरकार को निम्नलिखित के बारे में सिफारिशें करेगी—

- (क) इस अधिनियम में कथित प्राधिकरण की प्राप्तियों और उद्देश्यों के संपादन के परिमाण जो अधिसूचित क्षेत्र के अवसंरचना, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की अवस्था द्वारा प्रमाणिकता ;
- (ख) अधिसूचित क्षेत्र में अवसंरचना विकास, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्थायी प्रबन्धन में शामिल प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, गुरुग्राम पुलिस, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार की ऐसी अन्य एजेंसियों के बीच समन्वयन मेकनिज्म की प्रभाविकता ;
- (ग) सुधारक उपाय, यदि कोई हों, सहित प्राधिकरण का भावी दृष्टिकोण ;
- (घ) ऐसे अन्य मामले, जो राज्य सरकार द्वारा समिति को निर्दिष्ट किए जाएं।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट समिति की प्रत्येक सिफारिश के संबंध में उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी।

- रिक्तियों द्वारा कार्यवाहियों का अविधिमान्यकरण न होना।
- विवरणी और सूचना।
- प्राधिकरण की स्थानीय प्राधिकरण से रिपोर्ट, विवरणी अथवा सूचना मांगने की शक्ति।
- कतिपय मामलों में राज्य सरकार की शक्ति।
- अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
- अन्य विधियों के लागूकरण का अवर्जन होना।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
- सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना।
- नियम बनाने की शक्ति।
- 48.** इस अधिनियम द्वारा या के अधीन गठित प्राधिकरण या किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां, मात्र इसके सदस्यों में किसी रिक्ति तथा रिक्तियों के विद्यमान होने के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी।
- 49.** प्राधिकरण, इसके क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य सूचनाएं, जो राज्य सरकार को, समय-समय पर, अपेक्षित हों, ऐसी अवधि, जो निर्दिष्ट की जाए, के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- 50.** प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में प्रयोज्य शक्तियों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण, बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरण से किसी अवसंरचना विकास कार्य, नगरीय सुख-सुविधा से सम्बन्धित कोई विवरणी, रिपोर्ट, सांख्यिकी या अन्य सूचना मांगने की शक्ति होगी, जो इस अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग करने और इसके कर्तव्यों को करने में अपेक्षित हो और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या ऐसा अन्य प्राधिकरण, बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरण ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
- 51.** (1) प्राधिकरण ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, इसे जारी किए जाएं।
- (2) यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा इसकी शक्तियों का प्रयोग करने और इसके कृत्यों के पालन करने में या के संबंध में, अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, कम्पनी या अन्य अभिकरण के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसा विवाद, राज्य सरकार को भेजा जाएगा और किसी ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) राज्य सरकार, किसी भी समय पर, या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किए गए आवेदन पर, पारित किसी आदेश या जारी निर्देश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित आदेश के अभिलेख मांग सकती है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित या ऐसा निर्देश जारी कर सकती है, जैसा यह उचित समझे :
- परन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगी।
- 52.** पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के उपबन्धों के अध्याधीन, किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात का इससे असंगत होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा।
- 53.** इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।
- 54.** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
- 55.** इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन गठित प्राधिकरण या किसी समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।
- 56.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किए जा सकते हैं, अर्थात् :—
- (क) भत्ते जो पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्राप्त करेंगे;

- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठक का समय, कारबार और कारबार संव्यवहार करने के लिए प्रक्रिया के नियम;
- (ग) रीति जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों के अभिलेख रखेगा;
- (घ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और योग्यताएं;
- (ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्दों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते और सेवा के निबन्धन तथा शर्तें;
- (च) अधिसूचित क्षेत्र के निवासी होते हुए, धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन निवासी सलाहकार परिषद् के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की रीति तथा निबन्धन;
- (छ) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन निवासी सलाहकार परिषद् की बैठकें करने और कारबार संव्यवहार के लिए प्रक्रिया;
- (ज) भत्ते जो पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन निवासी सलाहकार परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्राप्त करेंगे;
- (झ) अन्तराल जिन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास योजना तैयार करेगा;
- (ञ) प्ररूप जिसमें अधिकारिता रखने वाला समुचित स्थानीय प्राधिकरण धारा 27 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में किसी अप्राधिकृत विकास या अवरोधनों या अतिक्रमणों को हटाने के लिए निदेश दे सकता है;
- (ट) प्ररूप और रीति जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 27 के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में किसी अप्राधिकृत विकास या अवरोधन या अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निदेश देगा;
- (ठ) प्ररूप और समय जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करेगा;
- (ड) प्ररूप जिसमें प्राधिकरण धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और तुलन-पत्र सहित लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा;
- (ढ) प्ररूप और तिथि, जिसको या से पूर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन उस वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;
- (ण) सदस्यों की संख्या, उनकी विशेषज्ञ राय और धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन समिति के गठन की रीति;
- (त) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

57. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्राधिकरण, अपनी वैबसाइट पर प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए ऐसे विनियमों का उपबन्ध कर सकता है, अर्थात् :-

- (क) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अस्थाई अमले की नियुक्ति की रीति, अवधि और निबन्धन तथा शर्तें;
- (ख) प्ररूप तथा रीति, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी और निवासी सलाहकार परिषद् के सदस्य धारा 14 के अधीन उनकी नियुक्ति के बाद और उनके हित का विस्तार होने के बाद यथाशीघ्र प्रत्येक वर्ष घोषणा करेंगे;
- (ग) रीति जिसमें प्राधिकरण धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन भूमि का क्रय, विनियम, अन्तरण, धारण, पट्टा, प्रबन्ध और निपटान कर सकता है;

- (घ) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन किसी बोर्ड, कम्पनी, अभिकरण या व्यक्ति का प्रस्ताव;
- (ङ) धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन प्रोन्नति, सहयोग और सरलीकरण का मेकनिज्म;
- (च) किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने या किसी मामले, जो प्राधिकरण धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन समन्वयन समिति और स्थायी समिति को निर्दिष्ट करे, की मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग करने या मन्त्रणा देने के लिए भी उनके गठन के निबन्धन तथा शर्तें;
- (छ) प्ररूप तथा रीति, जिसमें कोई सदस्य धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा करेगा;
- (ज) धारा 30 के अधीन विशेषज्ञों की फीस, पारिश्रमिक और नियुक्ति की अवधि;
- (झ) निवेशों, जिनमें प्राधिकरण धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन इसकी निधियों के किसी भाग का निवेश कर सकता है;
- (ञ) रीति, जिसमें धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के कारण अधिशेष को वापस या समायोजित किया जाएगा;
- (ट) कोई अन्य मामला जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण, समय-समय पर, किसी विनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है और प्रत्येक ऐसा विनियम, इसका संशोधन या निरसन, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

58. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनुसंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

राज्य विधानमण्डल के सम्मुख अधिसूचना, नियमों और विनियमों को रखना।

59. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, इसके जारी किए जाने या बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

60. (1) गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के त्वरित तथा आर्थिक विकास के लिए केन्द्र के रूप में इसके आविर्भाव ने शहरी शासन, अवसंरचना अभाव, विकेंद्रित निर्णय तथा स्वतन्त्र रूप से सृजित नगर क्षेत्र की चुनौतियों प्रस्तुत की हैं, जिन्हें यदि नजर अंदाज किया जाता है, तो गुरुग्राम के नागरिकों के जीवन का स्वरूप तथा कल्याण प्रभावित हो सकता है। इस विकास ने समेकित शहरी योजना तथा अवसंरचना विकास में अन्तर पैदा किया है। एक महानगर के रूप में गुरुग्राम के आविर्भाव से शहरी पर्यावरण की गतिशीलता तथा संपोषण क्षमता की समस्यायें सामने आई हैं जो कि विधिक रूप से परिभाषित शहर की सीमाओं से बाहर हैं।

गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के प्रशासन के लिए वर्तमान विधिक व्यवस्था में विभिन्न कमियां हैं जिन्हें सही किये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच विचार विमर्श उपरान्त निर्बाध तथा समेकित विकास संरचना की आवश्यकता को महसूस किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासकीय तथा वित्तीय संरचनाओं में कार्यात्मक सशक्तिकरण के अलावा कार्यात्मक तथा संचालन संबंधी जिम्मेदारियों में परस्पर व्यापन से बचा जा सके।

भारत के महानगर विकास प्राधिकरणों के विभिन्न माडलों का अध्ययन करने उपरान्त, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना द्वारा समन्वित तथा समेकित शहरी शासन हेतु एक विधिक संरचना स्थापित करने का विचार किया गया है।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा निवासियों के जीवन के स्वरूप तथा युवित्तयुक्त जीवन स्तर मुहैया कराने, समेकित तथा समन्वित योजना, अवसंरचना विकास तथा शहरी सुख सुविधाओं को मुहैया कराने, गतिशीलता प्रबन्धन, शहरी पर्यावरण तथा सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का जारी रखने योग्य प्रबन्धन के माध्यम से गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के सतत, दीर्घकालीन तथा सन्तुलित विकास के दृश्य को विकसित करना प्रस्तावित किया है। गुरुग्राम के शहरी समूहकरण के रूप में तीव्र विकास के मध्यनजर, यह शहरी शासन तथा उसके प्रतिपादन संरचना को स्थानीय निकायों के समन्वय से पुनः परिभाषित करने का प्रयास करेगा।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 22 अक्टूबर, 2017.

आर.के. नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 राज्य सरकार को गुरुग्राम जिले में नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले किसी भी क्षेत्र को गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-4 हरियाणा सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी तारीख से प्रभावी होने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 9 राज्य सरकार को एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-22 हरियाणा सरकार को अधिसूचित क्षेत्र में शहरी बस सेवा संचालित करने के लिए प्राधिकरण को अनुमति देने की शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-42 हरियाणा सरकार को अधिसूचित क्षेत्र में सम्पत्ति, भूमि और इमारतों पर उपकर लगाने के लिए शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-45 तथा 46 हरियाणा सरकार को क्रमशः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम की सम्पत्ति के हस्तांतरण, सम्पत्ति में रुचि और प्राधिकरण को अधिकार और देनदारियों के लिए एक हस्तांतरण योजना प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-47 हरियाणा सरकार को प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाईयों को दूर करने के प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-56 हरियाणा सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा-58 हरियाणा सरकार को प्रस्तावित बिल के प्रावधानों को प्रभावित करने में कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति प्रदान करती है।

कार्यकारी को शक्तियों का यह प्रत्यायोजना सामान्य विशेषता का है। इसलिए हरियाणा विधान सभा कार्य-प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 126 में अपेक्षित प्रतिनिधि कानून के बारे में ज्ञापन संलग्न है।